The Boilers Bill, 2024

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Respected Sir, I rise to move:

?That the Bill to provide for the regulation of boilers, safety of life and property of persons from the danger of explosions of steam-boilers and for uniformity in registration and inspection during manufacture, erection and use of boilers in the country and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि बायलरों का विनियमन, वाष्प-बायलरों के विस्फोटन के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का उपबंध करने तथा देश में रजिस्ट्रीकरण में एकरूपता और बायलरों के विनिर्माण, परिनिर्माण तथा उपयोग के दौरान निरीक्षण के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना) : अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री, माननीय पीयूष गोयल साहब ने जो बायलर विधेयक, 2024 पेश किया है, उस बिल पर आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ । सबसे पहले तो इंडियन बायलर एक्ट, 1923 एक इतना पुराना एक्ट हमारे देश में आज तक चल रहा था, और सरकार ने इसे बदलने का प्रस्ताव पेश किया है, मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । लेकिन वह धन्यवाद देने के साथ ही उसके अंदर जो कमियां हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बात बताना चाहूंगा ।

15.41 hrs (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

यह विधेयक क्यों लाया गया है? यह विधेयक 8 अगस्त को राज्य सभा में आया था, आज लोक सभा में भी आया है । इस विधेयक के अंदर आपने कुछ बातें तो ज़रूर की हैं, लेकिन कुछ बातों में अस्पष्टता है, जिसको ले कर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा । औद्योगिक क्षेत्र में खास तौर से बायलर्स का इंस्टॉलेशन सिस्टम बिठाने का काम होता है और उसको कानून के दायरे में लाया जाए । उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा जाए । फैक्ट्री

की सेफ्टी के बारे में, कानून के बारे में, उसके सर्टिफिकेशन रेगुलर होते जाएं, इसीलिए क्या उसका रिन्युएबल होता है? क्या रिन्युएबल होने वाला है? कितने दिनों में होने वाला है, इसकी कुछ स्पष्टता इस बिल में हैं । मैं उसके बारे में आगे बताना चाहूंगा । जो मुद्दे हैं, सुरक्षा को ले कर कुछ अस्पष्टता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा । यह जो विधेयक है, इसमें कुछ क्षेत्रों में, राज्य सरकार ने कुछ चीज़ों में इसके दायरे में कुछ छूट देने की अनुमति दी है । उसमें हमारा यह तर्क है कि इस छूटने वाले क्षेत्रों में बायलर्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी । इसलिए इस कारण से दुर्घटना बढ़ने का ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, संभावना बढ़ सकती है । दूसरी बात यह है कि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उन पर भी ज्यादा बोझ आपने इस बिल में डाला है । जैसे नए सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम नया सर्टिफिकेशन लेने के लिए जाएंगे, रिन्युएबल कराने को जाएंगे तो बायलर की मरम्मत करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है । एमएसएमई जैसे छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, वहां आदमी कहां से एक बायलर अटेंडेंट हमेशा के लिए रखेगा? अटेंडेंट रखना अलग बात है, मरम्मत करने के लिए भी आदमी रखेगा तो वह कैसे रख सकता है? इसलिए छोटे उद्योगों पर इसका बोझा पड़ने वाला है, उन पर अतिरिक्त खर्चा होने वाला है । प्रशासनिक परेशानी बढ़ रही है और ऐसा भी कहा जाता है यह कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के उद्देश्य के खिलाफ है । इसके बाद मैं मंत्री जी के सामने तीसरी बात पर्यावरण के संबंध में रखूंगा ।

उस बारे में मुझे बहुत चिंता हो रही है । पर्यावरण के बारे में बायलर से निकलने वाला जो उर्त्सजन है, जो प्रदूषण होने वाला है, उसको नियंत्रित करने के लिए आपने कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं रखा है । प्रदूषण के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि औद्योगिक बायलर से होने वाला जो प्रदूषण है, वह एक बहुत बड़ा मुद्दा है । इसकी अनदेखी करना ठीक नहीं है । इस बिल के अंदर इसकी आलोचना भी हुई है । इसके लिए मैं आपसे बार-बार विनती करूंगा । इसमें कुछ बातें करने की आवश्यकता है । जैसे हम जूडिशियल प्रावधान के बारे में सोचेंगे कि ज्यूडिशियरी के बारे में न्यायिक चुनौती क्या है, उसमें क्या कमी रह गई है? इस विधेयक के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जो इंस्पेक्टर होगा, जो बाबू होगा, जो निरीक्षण होगा, उसके फैसले के सामने अदालत में चुनौती दी जाएगी । पहले हमारी जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज थीं, उनमें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर चुनौती देते थे । हम अपीलेट अथॉरिटी के पास भी जाते थे । अब आपने ऐसा प्रावधान बना दिया है कि हम हाई कोर्ट के सिवाय कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे । मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इस बिल के अंदर जो न्यायिक चुनौती अधूरी रह गई है, उसके बारे में भी आपको सोचने की जरुरत है । यह भी मैं आपसे इस बिल के बारे में कहूंगा ।

महोदय, अब हमारे जो निरीक्षण आने वाले हैं, उनको अनगिनत अधिकार दिये गये है । अब इंस्पेक्टर आएगा । वह परिसर में कब आने वाला है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है । उसे इसका अधिकार दे दिया गया है । इसके लिए सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया है । वह आएगा, उसके लिए सेफगार्ड क्या है, उसको लाने वाला कोई नहीं है, उसके अधिकारों का दुरुपयोग होने की आशंका है । इसकी त्रुटियों को दूर करने की जरुरत इस बिल के अंदर है । उसके साथ-साथ समय सीमा का भी अभाव है । हमने जो समय की सीमा दी है, बायलर की जांच होगी, उसका बदलाव होगा, उसकी मरम्मत होगी । इसकी मंजूरी के लिए इस विधेयक में कोई निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं है । इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है । कभी-कभी किसी फैक्ट्री वाले को मरम्मत करने के लिए जो पीरियड दिया गया है, उसके एक साल में करनी चाहिए, छह माह में करनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, इसका भी प्रावधान नहीं है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल में समय सीमा का अभाव है । यदि इसके बारे में अनदेखी की गई तो परिणाम ठीक नहीं होगा । किसी इंडस्ट्री का छह महीने में रिन्यूअल करना चाहिए, किसी का 12 महीने में करना चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी । ये त्रुटियां भी इसके अंदर हैं । इसलिए, मैं इस बारे में मंत्री जी से बताना चाहूंगा ।

दूसरा, कुछ राज्यों ने क्या किया है, हमारे अपने-अपने राज्यों में सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान दिया गया है । इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन इस विधेयक के अंदर उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है । सारे प्रशासनिक अधिकार की प्रक्रिया आसान होने के बजाय जटिल हो रही हैं, इसलिए मैं आपसे इसकी बात भी कहूंगा । यदि उनका प्रावधान रखा जाए तो अच्छा रहेगा । उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन भी किया जाए । यदि यह हो जाता है और हमारे इंस्पेक्टर की एक विजिट हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि इस बिल में सुरक्षा प्रावधानों की भी कमी हैं । बायलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में जो प्रावधान चाहिए, वह भी बिल में आना चाहिए । इनको कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है । उदाहरण के लिए इसमें योग्य और सक्षम व्यक्ति की परिभाषा और उनके परीक्षण का विवरण नहीं है । कौन सा आदमी रहेगा, उसका टैलेंट क्या रहेगा, उसकी पढ़ाई-लिखाई क्या होगी, इस बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

महोदय, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में जलवायु है, औद्योगिक जरुरतें हैं, संसाधन हैं । इन विविधताओं का ध्यान नहीं रखा गया है । कुछ जगहों पर यह अव्यवहारिक हो सकता है । जैसे हमारे

महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री है, उसके अंदर अलग चीज है । ऐसे ही कुछ अलग-अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग-अलग कानून आने चाहिए, लेकिन ये सब इस बिल में नहीं हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जुर्माने में असमानता है । जब कोई एकाध इंडस्ट्रिलियस्ट उसके अंदर रिन्युअल करते समय या फैक्ट्री एक्सीडेंट में आरोपी या दोषी पाया गया तो उसके बाद उस पर क्या जुर्माना लगाना चाहिए? अगर कोई छोटी गलती हो, एमएसएमई यूनिट हो, तो उस पर छोटा जुर्माना लगाने का उसमें प्रावधान नहीं है । उसके लिए सख्त से सख्त, बड़ा से बड़ा जुर्माना है । कोई करोड़पति फैक्ट्री वाला हो, उसको भी उतना ही जुर्माना है और छोटे एमएसएमई वाले को भी उतना ही जुर्माना है । इसके अंदर उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है । यह अन्यायकारक हो सकता है, इसलिए इसके अंदर जुर्माने के बारे में कानून की स्वीकार्यता कम लग रही है । इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है ।

महोदय, बायलर बिल, 2024 अगर औद्योगिक बायलर से संबंधित है, तो इसे छोटे उद्योग, पर्यावरणवादी और श्रमिकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है । इसकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार को स्पष्ट नियम, व्यावहारिक कार्यान्वयन और सभी पक्षों से चर्चा की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि अगर आपको इस विधेयक के किसी खास पहलू, जैसे नियम, प्रभाव, उद्देश्य के बारे में और जानने हेतु कुछ काम हमें भी बताएं, हमारी भी मदद मांगें, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं । मैं आपसे विनती करूंगा कि इस बिल को अभी कुछ दिन के लिए रोका जाए और उस पर सारी पार्टीज़ के सांसदों की राय ली जाए और उसके बाद यह विधेयक लाया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ऐसी विनती करूंगा । मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र ।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से सदन में बायलर अधिनियम, 2024 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वर्ष 1923 से अब वर्ष 2025 आ गया है । जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो औद्योगिक क्रांति के अवसर पर वर्ष 1923 में यह अधिनियम लाया गया । वर्तमान समय तक सौ वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं । यह आवश्यकता थी कि अनेक प्रकार के ऐसे नियम जो अवांछनीय हैं, उनको दूर किया जाए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए श्रमिकों के हित में, उद्योगों के हित में, व्यापारियों के हित में, सम्पत्तियों के हित में एक नया अधिनियम लाया गया ।

महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । वर्ष 2014, जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो लगातार ऐसे अनेक प्रकार के नियमों, कानूनों, अधिनियमों में संशोधन करना, अनेक अवांछनीय नियम, जो

अंग्रेजों के समय में लागू किए गए थे, जो भारतीयों पर दंड के अनुसार लागू किए गए थे, उन्हें बदलने का काम देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है । इसी के अंतर्गत 2 अगस्त, 2024 को माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी की जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बायलर अधिनियम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए । इसके बाद हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने राज्य सभा में इस विधेयक को अगस्त में रखा और दिसम्बर में यह विधेयक राज्य सभा से पारित किया गया ।

महोदय, यह अधिनियम बहुत आवश्यक है । श्रमिकों की सुरक्षा मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । आप देखते हैं कि बायलर सिस्टम में चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन के क्षेत्र में हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो, अनेक क्षेत्रों में इस्पात और पेट्रो- कैमिकल्स में इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं । अनेक प्रकार के विस्फोट हो जाते हैं, अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं । इसके लिए एक नए अधिनियम को लाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । महोदय, जब कोई श्रमिक काम करने जाता है तो उसकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है । हमारा श्रमिक सुरक्षित रहे, बायलर के लिए जो टेक्नीकल टीम होनी चाहिए, जिसको वह मरम्मत भी कर सकें, उसके लिए योग्य हो, सुयोग्य हो, सक्षम हो । यह भी जरूरी है कि समय-समय पर उसका निरीक्षण भी कर सकें । उसके लिए आवश्यक है कि एक नया रजिस्ट्रेशन हो, हर वर्ष का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका रिन्यूअल होते रहना चाहिए, जिससे लगातार यह दृष्टि बनी रहेगी कि आज हमारे बायलर की स्थिति क्या है ।

पहले बायलर में विस्फोट हुआ करते थे, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, लोक सभा से पारित होने के बाद उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें कमी आएगी । पुराने मानकों के आधार पर जो अधिनियम चल रहे थे, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए आज आवश्यकता है कि एक नया कानून बने, बायलरों का निर्माण, निरीक्षण, पंजीकरण, संचालन और सुरक्षा के मानक बेहतर बनाए जाएं । यह विधेयक औद्योगिक दुर्घटनाओं को भी कम करेगा, वहीं पर बायलर के रख रखाव और निगरानी की ओर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ।

इस अधिनियम को छह अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के अध्याय जोड़े गए हैं । वर्ष 1923 के जो अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधान थे, उनको हटाया गया है । इसके लिए एक केन्द्रीय बायलर बोर्ड का भी गठन किया गया, केन्द्रीय बायलर बोर्ड आने वाले समय में कुछ नियम बनाएगा, राज्यों के साथ उसका परस्पर संबंध भी रहेगा । श्रमिकों के कल्याण और जनता का कल्याण सुरक्षित करके विकास में समर्थ हो सकेंगे । कोई भ्रम न रहे, इससे बचने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों में आपस

में परस्पर समन्वय की भी आवश्यकता रहेगी, जो केन्द्रीय बायलर बोर्ड बनेगा, वह उसकी देखरेख की व्यवस्था करेगा ।

वर्तमान कानून में सात अपराधों में से तीन को अपराध मुक्त किया गया है । देश में बायलरों की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित नियमों में एकरूपता बनी रहेगी । हालांकि देखने में आता है कि कई बार अनेक प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, विस्फोट भी हो जाता है । उसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस कानून को लाना बहुत आवश्यक था । इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उद्योग क्षेत्र के लिए, व्यापारियों के लिए और श्रमिकों के हित के लिए इस कानून को लेकर आए हैं । यह अधिनियम जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत सुधारों का एक हिस्सा है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी, इज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा । आधुनिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत बालयरों की पंजीकरण प्रक्रिया को डिजीटाइज्ड किया जाएगा, जिससे तेजी से निरीक्षण और प्रमाणन किया जा सकेगा । इसके अंतर्गत सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई है । इसमें थर्ड पार्टी इंसपेक्शन की भी अनुमति होगी, जिससे व्यावसायियों को लाल फीताशाही से बचाया जा सकेगा ।

इज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए इस विधेयक में व्यापार को आसान बनाने के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाने का प्रावधान किया गया है । छोटे और मध्यम उद्योगों को सरल लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से लाभ मिलेगा । विधेयक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करेगा और नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा । आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में बनी है, दुनिया भर के इनवेस्टर्स भारत में आएं, उसके लिए आवश्यक है कि भारत में नयी टेक्नोलॉजी, नयी व्यवस्था, नये सुरक्षा इंतजाम के अनुसार, जो वह चाहते हैं, वह भारत में मिलने चाहिए । ये सारे प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय पीयूष गोयल जी ने पेश किए हैं, वे सभी इसके अंतर्गत निहित हैं ।

बायलरों की सुरक्षा और संरचना के जुड़े होने के लिए मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं । इसकी संरचना, संचालन, रख रखाव और निरीक्षण से संबंधित नए दिशा - निर्देश तैयार किए गए हैं ।

16.00 hrs

जो श्रमिकों की भी सुरक्षा करेंगे, संपत्तियों की भी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जब बॉयलर में विस्फोट होता है, तो श्रमिकों की भी जान चली जाती है और अनेक संपत्तियां भी विस्फोट के कारण ध्वस्त हो जाती हैं ।

सभापति जी, इसमें राज्य सरकारों को छूट भी दी गई है । राज्य सरकारें अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ अदला-बदली कर सकती हैं, कुछ सुझाव दे सकती हैं, कुछ परिवर्तन कर सकती हैं और कुछ इमरजेन्सी हो सकती है । उसके अनुसार बॉयलर विधेयक, 2024 में राज्य सरकारों को विशेष परिस्थितियों में कुछ अधिकार दिए गए हैं ।

माननीय सभापति जी, इनसे राज्यों को अपनी औद्योगिक नीतियों के अनुसार निर्णय लेने में भी स्वतंत्रता मिलेगी । औद्योगिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, व्यापारिक प्रक्रिया में सुधार होगा और विदेशी निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा । अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जब विदेशी निवेशक आएंगे और जो वे चाहते हैं, उनके अनुसार हमारी व्यवस्थाएं होंगी, तो निश्चित रूप से विदेशी निवेश भी आएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा । देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है ।

मैं इस सदन में यह कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का शासन 100 वर्षों तक रहा है, लेकिन उन्होंने सन् 1923 के बाद केवल वर्ष 2007 में कुछ संशोधन किए थे, जो पर्याप्त नहीं थे । उससे हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते थे । अब दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों ने ही बनाई थी और अंग्रेजों द्वारा बनाए नियम ही सन् 1923 से चले आ रहे थे । इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे समय के शासन काल में कभी इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की थी । वह बस देखती रही । अगर उन्होंने संशोधन किए भी थे, तो उन्होंने अपने लाभ के लिए संशोधन किए थे । उन्होंने कभी देश के लाभ के लिए, जनता के लाभ के लिए, व्यापारियों के लाभ के लिए और नौजवानों के भविष्य के लिए इस संसद में खड़े होकर कभी कोई संशोधन नहीं किए थे ।

माननीय सभापति जी, आज भारत में एमएसएमई सेक्टर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है । वहां लोगों को रोजगार भी मिल रहा है । लोग नए स्टार्ट अप्स भी शुरू कर रहे हैं । सरकार उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं भी कर रही है । सरकार आर्थिक क्षेत्र में मदद कर रही है । हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट भाषण के दौरान बजट में अनेक सारी घोषणाएं की हैं । आने वाले समय में हमें उसका लाभ मिलेगा । हमारे यहां जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, चाहे बिजली के उत्पादन के संयंत्र हों, इस्पात उद्योग हो, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हों, केमिकल रसायन हो, अन्य जो बॉयलर पर आधारित उद्योग हैं, उनमें तेजी से विकास होगा । रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से मजबूत होगी ।

माननीय सभापति जी, यह बात ठीक है कि जब सरकार कोई नियम और कानून लागू करती है, तब कुछ चुनौतियां भी सामने आती है । उसमें लोगों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं । सरकार सकारात्मक सुझावों को हमेशा मानती भी है । ऐसा नहीं है कि सकारात्मक सुझाव

आएं और उसको सरकार न माने । उसके लिए यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं । निश्चित रूप से इस विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है कि इसका समय पर प्रभावी कार्यान्वयन हो जाए । जहां तक मेरी जानकारी है कि इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि तीन वर्ष तक केन्द्र की सरकार अपने द्वारा इसमें सामंजस्य बिठाकर इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था भी करेगी ।

माननीय सभापति जी, सख्त निगरानी प्रणाली की भी आवश्यकता है । यह विषय जीवन से जुड़ा हुआ है । यहां पर यह भी नहीं किया जा सकता है कि पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए । मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि निगरानी बहुत आवश्यक है । सक्षम व्यक्ति मरम्मत कर सके, रेगुलरली उसको चेक किया जाए और उसके लिए प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने निरीक्षक तय कर सकते हैं । उनके जो निरीक्षक होंगे, वे उसकी देख-रेख करेंगे और वे समय-समय पर जाएंगे । वह रिपोर्ट आना भी जरूरी है । निरीक्षण प्रणाली में निरीक्षकों के द्वारा कई बार अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार और वहां की टीम द्वारा यह किया जाए कि वे उस निरीक्षण को प्रभावी रूप से देख सकें । इसमें केन्द्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य हो सके ।

महोदय, मैं अंत में कुछ बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा । केन्द्र और राज्यों का सामंजस्य भी महत्वपूर्ण है । इसके साथ जो केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड बन रहा है, वह अभी आने वाले समय में आपके समक्ष बहुत सारी चीजें रखेगा । वर्ष 2024 में भारत में औद्योगिक सुरक्षा और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है ।

यह न केवल बायलरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि नये उद्योगों और निवेशकों को भी आकर्षित करेगा । इस विधेयक के माध्यम से बायलर निर्माण और संचालन में पारदर्शिता आएगी, ओद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आएगी, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, भारत के उद्योग जगत को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में मजबूती मिलेगी । अत: मैं इस सुझाव के साथ अपनी इस बात को पूरी करता हूं कि बायलर से जो फ्लाई एश निकलता है, उसके डिस्पोज़ल के लिए कोई व्यापक व्यवस्था जरूर की जाए । अक्सर यह देखने में आता है कि अनेक जगह खेतों में भी इसको डाल दिया जाता है। उसका क्या उपयोग हो सकता है? उसकी स्टडी की जाए कि वह और किस काम आ सकता है? उसके डिसपोज़ल की अच्छी व्यवस्था की जाए । इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा । मैं पुन: देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देते हुए कि अभी 20 मार्च को कोयले के क्षेत्र में एक बिलियन टन कोयले के उत्पादन को क्रॉस करने का काम भारत ने किया है । इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई । मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और सदन

के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि देश, व्यापार, उद्योग, श्रमिक और रोजगार के हित के लिए सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए । धन्यवाद ।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा): सभापति महोदय, मैं बड़े गौर से अपने वरिष्ठ सदस्य माननीय राजकुमार चाहर जी को सुन रहा था । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस विधेयक के आने से विदेशी निवेशकों को काफी सहूलियत होगी । शायद सरकार की यही मंशा है कि इस विधेयक को लाने से जो बड़े उद्योगपति हैं, जो देश में आपके मित्र उद्योगपति हैं, जो विदेशी आपके मित्र निवेशक हैं, यह अमेंडमेंट करके आप छोटे और मझोले उद्योगों का गला घोंटना चाहते हैं ।

सभापति जी, मैं इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से की गयी आधी-अधूरी तैयारी, जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही, उद्योगों के लिए बढ़ती बाधाओं को उजागर करना चाहता हूं । यह विधेयक वर्ष 1923 के पुराने कानून को बदलने का दावा करता है । लेकिन वास्तव में यह न तो आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है और न ही भारत के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करता है ।

सभापति जी, जब पूरी दुनिया में बायलर को व्यापक श्रम सुरक्षा कानून के तहत शामिल किया जा रहा है तो आखिर हिन्दुस्तान के वर्ष 1923 के पुराने ढांचे को भारत सरकार देश पर थोपना चाहती है । ब्रिटेन ने वर्ष 1994 में अपना बायलर एक्ट खत्म कर दिया और इसे वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट में शामिल कर दिया । दक्षिण अफ्रीका ने भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, 1993 के तहत बायलर नियमन शुरू किया । जापान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के तहत बायलर सुरक्षा नियम हैं । जर्मनी में भी इंडस्ट्रीयल कोड के तहत बायलर मानक तय किए गए हैं। इसलिए सभापति जी क्या कारण हैं कि अभी भी हिन्दुस्तान वर्ष 1923 के एक्ट में अमेंडमेंट करके इसे लागू रखना चाहती है? विधेयक की धारा 36 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह से इस कानून से छूट दे सकती है ।

सभापति जी, यह तो ऐसा हथियार दे रहे हैं और ज्यादातर राज्यों में तो इन्हीं की राज्य सरकारें हैं तो फिर इनकी राज्य सरकार जैसे चाहेगी, वैसे छूट देने का काम करेगी और उससे अंधाधुंध अपने चहेते लोगों को मानक के विपरीत लाइसेंस बटेंगे । इससे दुर्घटनाएं होंगी, बायलर्स में विस्फोट होंगे । छत्तीसगढ़ में भी रसायनिक संयत्र में 6 मजदूरों की जान चली गयी । वर्ष 1921 की बायलर समिति ने स्पष्ट कहा था कि बायलर कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए । केवल जो दुर्गम स्थान हैं, उनको छोड़ दिया जाए । लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी छूट दी जा रही है ।

सभापति जी, इस एक्ट के माध्यम से इंस्पेक्टरों की मनमानी के लिए छूट दी जा रही है । उत्तर प्रदेश में समाजवादी हुकूमत आने से पहले इंस्पेक्टर राज लागू था । धारा 3/7 के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता था, लेकिन जब हमारे श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें तो धारा 3/7 समाप्त करके इस इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का काम किया गया । क्या सरकार इस एक्ट में संशोधन करके फिर से इंस्पेक्टर राज लागू करना चाहती है?

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कार्य सुरक्षा संहिता, 2020 में भी इंस्पेक्टरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उन इंस्पेक्टरों की मनमानी पर लगाम कैसे लगेगी, मंत्री जी उसका भी आप इस विधेयक में कुछ प्रावधान कर दीजिए । वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 47 प्रतिशत बॉयलर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई हैं । सरकार को इससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए और जो दंड प्रावधान हैं, वे पुराने जमाने के और प्रभावहीन हैं । इससे कहीं न कहीं, जो छोटे उद्योग हैं, उन पर भी आप वही दंड लगाने का काम करते हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं, जो आपके चहेते और विदेशी उद्योगपति हैं, उन पर भी वही एक लाख रुपये का दंड लगाने का काम करते हैं । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ धारा 32 के तहत बॉयलर में गड़बड़ी करने पर जो दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना है, उसे आप छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए रखिए, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, उन पर कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना रखिए और पांच साल की सजा रखिए । उनको जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए । आप ऐसे कुछ प्रावधान कीजिए, तभी इसमें आम आदमी के साथ दुर्घटनाएं कम होंगी और वे तभी उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे और काबिल इंजीनियर्स रखेंगे ।

सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक न तो आधुनिक है और न ही जन हितैषी है । हमारी मांग है कि बॉयलर नियमों को कार्य सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल करें तथा राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति शामिल करें । ? (व्यवधान)

सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला वक्ता हूँ । अभी पूरे 15 मिनट्स हैं । आप आज तो मुझे मौका दीजिए । आप राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति को सीमित करें । इंस्पेक्टरों की मनमानी रोकने के लिए बीएनएसएस के सुरक्षा उपाय लागू करें । सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑन लाइन अनुमति प्रणाली को कानूनी मान्यता दें । अगर सरकार ये सुधार नहीं करती हैं तो यह देश की औद्योगिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ खिलवाड़ होगा । इसलिए इस विधेयक पर सर्वदलीय सहमति भी ले ली जाए । आप चर्चा करवा रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि इस पर जेपीसी का गठन कर लिया जाए । यह श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ बिल है और यह छोटे उद्योगपतियों के हितों से जुड़ा हुआ बिल है ।

सभापति जी, मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । कल हम सांसदों की कुछ सैलरी बढ़ाई गई है । उसको लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं । ? (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूँ । आप चेयर पर बैठे हैं, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ । सैलरी बढ़ाने से ज्यादा सांसद निधि का बढ़ाया जाना जरूरी है । आप कम से कम 25 करोड़ रुपये की सांसद निधि कीजिए और आप जब तक सांसद निधि नहीं बढ़ा रहे हैं, तब तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कम से कम 50 किलोमीटर सड़कें सांसदों को बनवाने का प्रस्ताव दे दीजिए । ? (व्यवधान)

सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Boilers Bill, 2024 which has been moved by Shri Piyush Goyal who is the Minister for Commerce and Industry. This Bill is not a significant Bill. It is a sort of repetition of the Boilers Act which was enacted in 1923. Like many other British era Acts, some how or other, we did not give attention to overhauling the whole Act which is why we are bringing a Bill after 100 years for this boilers.

Sir, what are these boilers? Boilers are vessels where water is boiled with the help of external agencies, building up steam that is passed through pipes. Now, what work does it do? As we know, when gas expands, it starts working; thus, a boiler is used to do work. For instance, in a jute mill, steam from a boiler is needed for a jute press. This is how the boilers work.

But what is the danger? The danger is, as you know, Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume. It means, if the pressure is too much, then it will tend to expand, and it will give rise to accidents. The Boilers Act is to prevent such accidents. The whole structure is built up as to how boilers can be inspected properly.

The structure is, at a Central level, there is a Boilers Board which is controlled by the Government of India. A Secretary of the Government of India is the Chairman. Then, there is a Technical Advisor who acts as the Secretary. But the work is not done by the Central Government. The work is done at the State level, where the boiler inspectors are there, and they do the work of day-to-day inspection.

So, there is a Chief Inspector; there is a Deputy Chief Inspector, and there is an Inspector. These people inspect and validate all works connected with boilers. Now, there are two types of work. One is manufacturing of boilers, where a sufficiently strong metal vessel has to be built, where steam will be produced. Two is erection of boilers. Now for both these works, the clearance from these Inspectors is needed. One has to be very careful because if we give a boiler clearance without properly inspecting it, it will lead to accident.

The main problem is with regard to the valves. When steam is generated, steam can be further heated by Sui gas. Then, the steam is heated and it passes through a valve into a tube where the machine is being operated. These are steam-operated machines.

Now, one has to be very careful. The Chief Inspector gives clearance, but at every stage the Boiler Inspector has to certify. If that certification is not there, the person whose factory has a boiler, who either makes a boiler or acts with the help of a boiler, will be put under inspection. In some cases, there is a huge fine that they can impose.

Also, there is a provision of appeal. If anybody has complained about an Inspector, he may complain to the Chief Inspector, and ultimately to the Central Government. These different levels are provided. I do not want to speak much on this Bill because it has already been passed by the Rajya Sabha. They have done, they have studied, and they have given a final report. All I want is that, if you go to some factory, in my area, a lot of factories are there, you will find that the factories, which use boilers, are in a dilapidated condition or in ancient condition. We must see that the factories are modernized because not being modernized, they can lead to accidents, causing the life of poor workers.

So, with that, I will support this Bill, and recommend it for acceptance.

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Vanakkam, Chairperson, Sir. I rise today to address on the Boilers Bill 2024.

This is a legislation that promises reform, but delivers disappointment. While the intent to modernize the Boilers Act of 1923 is welcome, this Bill is riddled with flaws, and demerits that undermine its objectives. Allow me to outline the shortcomings, point by point, urging the House to consider and refine it. Sir, there is a weak safety measure, which is a flaw that I have found out.

This Bill claims to prioritize safety by requiring the competent persons to undertake repairs and protect the workers inside the boilers. But, where is the substance? It fails to define clear standards for competence. There is no mandatory training, no certification framework, and no periodic checks. Without these, enforcement remains a hollow promise, leaving workers exposed to the same risk of explosions and accidents that plagued the 1923 Act. Why is there no mandate for modern safety tools, like real-time monitoring? This is a superficial fix, not a safeguard.

Sir, a blast and a fire at an Indian Oil Corporation plant in Chennai resulted in fatalities. I want to remind the House. The Indian Oil Corporation is a Maharatna company, making huge profits year by year. The amount of income generated by IOCL can definitely focus more on safety and security of the boilers used in their companies. I think, the Petroleum and Natural Gas Ministry has to focus on this.

Sir, I should remind the House of the Bhopal gas leak incident, also a big incident that took many lives because of these boilers. Another boiler explosion at the NLC, India's thermal power plant in Tamil Nadu, resulted in multiple fatalities and injuries. The NLCL is also a Maharatna company, having huge income generation. Therefore, I urge the Union Government to be more focused on the safety and security of the boilers used in the companies.

There is environmental neglect in this Bill. Boilers are major polluters. Yet this Bill is silent on the environmental responsibility, which is the talk of the town. There is no push to phase out high emission boilers. There is also

no incentive for cleaner fuels, and no integration of renewable energy options.

As India chases the climate goal, the omission is indefensible. Are we to let air pollution worsen and our net zero commitments falter because of legislative inertia? The Bill must address the ecological cost of the industrial progress.

The flawed decriminalization is a very important point. The shift from fines to penalties for four of seven offences aims to erase business burdens, particularly for the MSMEs. Yes, it weakens accountability. The line between minor and major violations is blurry inviting subjective enforcement by inspectors. There is more penalty powers to executive hands, sidelining courts, risk bureaucratic overreach and corruption. Far from the ending, this could enrich the Inspector Raj. The aspects like clarity and judicial oversight are non-negotiable.

As far as the centralized overreach is concerned, India's industrial landscape is diverse where the Sates thrive on manufacturing, while others lag. Yet this Bill imposes uniform legislation and inspection norms *via* the Central Boilers Board with little room for State-level flexibility. This centralization strives local innovation and ignores regional needs. Why are you not empowering States to adapt standards for honouring our federal structure? ?One size fits all? is a colonial relic, we must discard.

As per the Bill, the Union Government will constitute the Central Boilers Board to frame regulations. The Bill provides that regulations made by the Central Boilers Board and rules made by the State Governments will be finalised after publication for public consultation. However, the Bill does not require public consultation for rules framed by the Union Government. This is a major flaw. This will only add fuel to the big brother attitude of the Union Government and its unnecessary dominance over the State Governments. There is a need for public consultation for the rules framed by the Union Government also.

There is lack of stakeholders? input. Who shaped this Bill? It is not shaped by workers or trade unions or environmentalists or small industrialists. Their exclusion is a glaring flaw. Where is the provision for workers? voices in safety audits? Where is the support for MSMEs facing compliance costs? A top-down approach alienates those it affects most risking a law detached from reality. Consultation is not a luxury, it is a necessity. *....(Interruptions)*

Sir, I am going to conclude.

The world has moved to smart boilers, that is, IoT-enabled, energy-efficient and predictive. Yet, this Bill clings to 1923's shadow, tweaking outdated rules instead of embracing Industry 4.0 standards. There are no incentives for innovation, no push for efficiency, just *Status Quo* in new wrapping. How will our industries compete globally with such timid vision? We need a future-ready law, not a rehash of the past.

Another important aspect needs a scrutiny. The Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) is a major Indian boiler manufacturer, particularly for high-pressure boilers and power plants with other notable companies in the Indian boiler market including Thermax, L&T, Siemens, and Doosan Power Systems. But in the last 10 years, during the BJP Government, the business potential of BHEL has been systematically destroyed and a large chunk of their business went to private companies. This is absolutely an unpardonable mistake by the Union Government and its major PSU companies.

Sir, the following six points, viz, weak safety measures, environmental neglect, flawed decriminalization, centralized overreach, lack of stakeholder input, and missed technological leap expose the Boilers Bill, 2024, as a flawed endeavour lacking in safety rigor, environmental foresight, fairness, federal spirit, inclusivity, and ambition. I hope the hon. Minister would definitely answer on all these points. *....(Interruptions)*

I urge the Government to include provisions to bolster safety with clear standards, add green mandates, refine decriminalization, decentralize

authority, involve stakeholders, and champion technology before amending this Bill. Only then will we have a law worthy of India's potential. Thank you, Sir.

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate in this discussion on The Boilers Bill 2024. I also thank our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi and our Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu for giving me this opportunity. The main objective of this bill is to ensure public safety and to protect our environment from destruction due to the explosion of boilers. This Bill also encourages ease of doing business. By reorganizing legal provisions of this Bill, 3 offences out of seven are being decriminalized, which will benefit MSME's in managing their businesses. Coming to the second point the penalties imposed by the courts are being replaced by working penalties which will efficiently help in operations of these boilers. With these amendments under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi I'm hopeful that ease of doing business will increase and the cost of operations will decrease. Our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu is also facilitating the ease of doing business and increasing speed of doing business.

As a result, an investment of ₹9,700 crores was made in our state in the last three months, which is not only creating wealth for our state but also is ensuring economic progress for people of our state. This bill is the need of the hour because in the last one decade there were around 23,000 boiler accidents throughout the world and 34 per cent of the victims were Indians. This bill will ensure coordination between all the stakeholders and will create a safe working atmosphere in the industries. This bill will also simplify the control mechanism of boiler accidents. The Central Boiler Board clearly defines the powers and responsibilities of the board. Design, manufacture and management of these boilers will come under the purview of this board. This will ensure efficient management of boilers. This board will use technology like the Internet of Things (IoT) to have real time monitoring of these boilers. I also would like to mention that Andhra Pradesh

is ahead in integrating technology into administration. The state government has signed a memorandum with Gates Foundation to use advanced technology in the fields of health, education, agriculture and med-tech. Our farsighted chief minister Nara Chandrababu Naidu is planning deep tech buildings in our capital city Amaravati to realise the potential of our technology. We seek support from the union government to realize these ambitious goals to achieve 'Swarna Andhra 2047'. I appreciate these amendments to the Boilers Bill, 1924. We support this bill for industrial safety and industrial development in our country. Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बायलर विधेयक, 2024 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय, यह विधेयक बायलर अधिनियम, 1923 को बरकरार रखते हुए कुछ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखता है । यह मुख्य रूप से बॉयलर के डिजाइन को प्रमाणित करने के लिए बाध्यता सुनिश्चित करता है । किसी भी प्रकार के बायलरों के निर्माता को डिजाइन प्रमाणित करने और निरीक्षण करने के लिए जरूरी कदम उठाना होगा, क्योंकि बायलर विस्फोट की जितनी भी घटनाएं होती हैं और जान-माल की क्षति होती है, उस सब के पीछे मुख्य रूप से बायलर डिजाइन में कमी पाई जाती है ।

सभापति महोदय, इस बिल की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य सरकार के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है । प्रमाण-पत्र और निरीक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी । निरीक्षण के लिए तीसरे पक्ष की नियुक्ति भी प्रक्रिया में शामिल की जा सकती है । साथ ही, केन्द्रीय बायलर बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव रखती है ।

सभापति महोदय, पूरे देश में अभी करीब 40 लाख बायलर्स लगे हुए हैं । ये प्राय: स्टीम बायलर्स हैं और इन्हें नियमित करने की आवश्यकता है । बायलर फटने की अधिक घटनाओं के बाद यह अनिवार्य हो गया है ।

सभापति महोदय, नए अधिनियम में सुरक्षित संचालन करने के लिए बायलर घटकों के निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत के लिए कानून काफी पारदर्शी एवं स्पष्ट और सरल होगा, सभी घटकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी । स्पष्ट है कि देश में बायलर फटने की घटनाओं पर विराम लगेगा और जान-माल की क्षति से बचाव होगा ।

सभापति महोदय, अभी एक सप्ताह पहले भिवानी-अलवर में बायलर फटने की घटना हुई है । इसमें काफी जान-माल की क्षति हुई । पंजाब के लुधियाना में भीषण बायलर फटने

की घटना अभी 8 मार्च, 2025 को हुई है । झारखंड के सरायकेला की घटना भी काफी दुखद है । अभी जनवरी, 2025 में बिहार के समस्तीपुर के वैनी में बायलर फटने की भीषण दुर्घटना हुई । कई मजदूरों की जान भी गई है । यह नुकसान बायलर फटने के कारण ही होता है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में राईस मिल्स और अन्य छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ में काफी बॉयलर्स लगे हैं । आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं । जांच प्रक्रिया में सभी घटनाओं में बायलर में कमी होने की बात सामने आती है । भाप अनियंत्रित होना इसका मुख्य कारण बताया जाता है । डिजाइन और किसी भी फैबरीकेटर्स से बायलर बनवाकर लगा दिया जाता है । फैक्ट्री मालिक को सस्ता बायलर चाहिए होता है, उन्हें सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं रहता है ।

सभापति महोदय, आशा है इस बिल से बायलर अधिनियम काफी सशक्त और पारदर्शी होगा । देश में बायलर फटने की घटनाओं पर विराम लगेगा और जान-माल की क्षति से बचाव होगा । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे (बीड) : महोदय, आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ ।

महोदय, आज भारत और विश्व में बायलर एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है । मैं बायलर विधेयक, 2024 के विरोध मैं अपना मत प्रस्तुत करना चाहता हूँ । यह विधेयक, जो लगभग एक सदी पुराने बायलर अधिनियम, 1923 का स्थान लेने का प्रस्ताव करता है । कई गंभीर चिंताओं को यह अधिनियम जन्म देता है ।

मैं इस विधेयक के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । न्यायिक पुनरावलोकन का अभावः विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार, मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों के आदेश अंतिम माने जाएंगे और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । यह प्रावधान नागरिकों के न्यायिक अधिकारों का हनन करता है और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है ।

महोदय, इसमें अपीलीय व्यवस्था की कमी है । विधेयक में निरीक्षकों के निर्णयों के खिलाफ अपील की एक सीमित व्यवस्था है, जिसमें मुख्य निरीक्षक के समक्ष अपील की जा सकती है । हालांकि, मुख्य निरीक्षक द्वारा पंजीकरण और उसके नवीनीकरण से संबंधित

आदेशों के खिलाफ अपील की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । यह प्रभावित पक्षों के लिए न्याय प्राप्ति के मार्ग को संकुचित करता है । गैर-अपराधीकरण से सुरक्षा मानकों पर प्रभाव विधेयक में कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है, जिससे बायलर उपयोगकर्ताओं, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र को लाभ मिलने की बात कही गई ।

हालांकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गैर अपराधीकरण से सुरक्षा मानकों में कोई कमी न आए । श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता न हो । प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण ? विधेयक केंद्र सरकार को केंद्रीय बायलर बोर्ड की स्थापना और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जबकि राज्य सरकारों को निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार देता है । यह शक्तियों का केंद्रीकरण प्रशासनिक जटिलताओं को बढ़ा सकता है और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है । अस्पष्ट प्रावधान और पारदर्शिता की कमी है । इस विधेयक में कई प्रावधान अस्पष्ट हैं जब हमें बायलर बनाना है या उसे ठीक करना है, तो उसके लिए पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक है । बायलर को दुरुस्त करने के लिए कम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है और उसे ठीक करने के लिए क्वालिफाइड कम्पोनेंट पर्सन होना जरूरी है ।

यदि रूरल एरिया में बायलर बनाते हैं और कोई दिक्कत आती है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बायलर का बहुत यूज होता है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इसके लिए स्किल्ड स्टॉफ जरूरी है । बायलर वाटरमैन रहेगा, बायलर अटेंडेंट रहेगा या इंजीनियर्स होंगे, सभी क्वालिफाइड होने चाहिए लेकिन इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है । मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि बायलर के विषय में क्वालिफाइड इंजीनियर्स होना जरूरी है, क्वालिफाइड स्टॉफ होना जरूरी है । भारत में जो एक्ट चला आ रहा है उसके तहत 7 गुनाहगार थे, जिनमें से चार को कंटीन्यु कर दिया है और तीन को हटा दिया है । बायलर बनाते समय बहुत दिक्कत आती है । बायलर बनाने वाले लोगों के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए । इंडस्ट्री के लिए बायलर बहुत महत्वपूर्ण है ।

इस विधेयक से किसी प्रकार की स्पष्टता दिखाई नहीं देती है । सरकारी अधिकारियों को इससे ज्यादा अधिकार मिलेंगे । महाराष्ट्र के अंदर 2016 में एक घटना में 12 मजदूर मर गए और 100 लोग घायल हुए । पुणे में वर्ष 2021 में घटना हुई जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई और पांच लोग घायल हुए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं लेकिन उनका कोई रिकार्ड नहीं है ।

मेरी मांग है कि भारत में जहां भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका कोई रिकार्ड नहीं है । एक ऐसी साइट होनी चाहिए, जहां बायलर से हुई दुर्घटनाओं का पूरा ब्यौरा हो । धन्यवाद ।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बायलर, 2024 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । यह बिल बायलर एक्ट, 1923 को रिप्लेस करने के उद्देश्य से लाया गया है । बायलर उद्योग मैनुफैक्चरिंग, पॉवर जेनरेशन और रिफाइनरीज जैसे क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी ठीक से देखभाल न होने पर बड़े हादसों का खतरा होता है ।

सभापति महोदय, यह बिल औद्योगिक सुरक्षा, कार्यकुशलता और ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । भारत सरकार आजादी से पहले के कानूनों को वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से पुनः समीक्षा कर रही है । बायलर्स एक्ट, 1923 एक ऐसा ही कानून है, जिसमें आखिरी बड़ा संशोधन वर्ष 2007 में हुआ था, जिसमें ?इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन? का प्रावधान जोड़ा गया था ।

अब इस कानून को पुनः मॉडर्नाइज़ करने और Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 के अनुसार कुछ अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ करने की जरूरत महसूस की गई है । इसीलिए, बायलर विधेयक, 2024 संसद में लाया गया है । इस बिल के अंतर्गत पुराने प्रावधानों को हटाया गया है तथा नए डेफिनिशन्स और प्रोविजन्स शामिल किए गए हैं ।

सभापति महोदय, इस बिल के प्रमुख प्रावधानों में यह है कि बायलर्स के संचालन से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसका रिन्युअल हर 12 महीने में होगा । मैन्यूफैक्चरिंग और इरेक्शन स्टेजेज के दौरान इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन जरूरी है । बायलर्स में अल्ट्रेशन्स या रिपेयर्स के लिए चीफ इंस्पेक्टर से पहले एप्रूवल लेना जरूरी होगा । दुर्घटना होने पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है । इंस्पेक्शंस, राज्य सरकार के इंस्पेक्टर्स और कुछ ऑथोराइज्ड प्राइवेट थर्ड-पार्टी इंस्पेक्टर्स द्वारा किया जाएगा । केन्द्र सरकार एक सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड का गठन करेगी, जो बायलर और बायलर कॉम्पोनेंट्स के डिज़ाइन, मैन्यूफैक्चर, इरेक्शन और यूज़ को रेगुलेट करेगा ।

डीक्रिमिनलाइजेशन के तहत कुल 7 में से केवल 4 गंभीर अपराधों में क्रिमिनल पेनेल्टी रहेगी, बाकी के लिए फाइन की जगह पेनेल्टी का प्रावधान है । पेनेल्टी को अब एग्ज़क्यूटिव मैकेनिज्म के जरिए लगाया जाएगा, कोर्ट्स की आवश्यकता नहीं होगी । इसमें केन्द्र

सरकार, राज्य सरकार और बायलर्स बोर्ड के फंक्शंस और पॉवर्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ।

सभापति महोदय, मेरे कुछ पर्यावरण से संबंधित कन्सर्न हैं । इंडस्ट्रियल स्टीम बायलर्स से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है । मई, 2023 में पर्यावरण मंत्रालय ने एमिशन स्टैण्डर्ड्स को कमजोर किया । बायलर्स बोर्ड में एनवायरनमेंटल कम्प्लायंस एक्सपर्ट को शामिल किया जाए, ताकि पर्यावरण के मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके ।

पेनेल्टीज़ और टाइमलाइन के बारे में कहना है कि बायलर विस्फोट, ओवरहीटिंग और लीकेज जैसी घटनाओं में कई जानें गई हैं । इस बिल में पेनेल्टीज़ बेहद कम हैं, इन्हें बढ़ाया जाए । साथ ही, इंस्पेक्शंस और एप्रूवल्स के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए, ताकि भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाओं को टाला जा सके ।

महोदय, इंश्योरेंस-बेस्ड इंस्पेक्शन के बारे में कहना चाहता हूं कि यू.के. और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इंश्योरेंस-बेस्ड इंस्पेक्शन प्रणाली है । बिल में सेल्फ-रेगुलेशन और इंश्योरेंस-ड्रिवेन इंस्पेक्शंस को शामिल करने से सुरक्षा बढ़ेगी और देरी कम होगी ।

सभापति महोदय, जहां तक ज्युडिशियल रिकोर्सेज की बात है तो इस बिल में केन्द्र और राज्य सरकार के निर्णयों को कोर्ट में चैलेंज करने का प्रावधान नहीं है । केवल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन का विकल्प है । मेरी मांग है कि इसके लिए बेहतर अपीलीय मैकेनिज्म बनायी जाए ।

सभापति महोदय, राज्य सरकारों को पूरे इलाके को exemption देने की शक्ति है । यह सुरक्षा के लिए सही नहीं है । बायलर कानून पूरे देश में एक समान लागू होना चाहिए । ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस के लिए कई राज्यों में सेल्फ-सर्टिफिकेशन का प्रावधान है । इस बिल में इसे स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए । केन्द्र सरकार के नियमों में पब्लिक कंसल्टेशन का प्रावधान जरूर होना चाहिए । इससे पारदर्शिता बढ़ेगी ।

महोदय, यह बिल वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है, जो उद्योग, बायलर पर्सोनेल्स और इम्प्लीमेंटर्स के लिए उपयोगी साबित होगा । इसे मॉडर्न ड्राफ्टिंग प्रैक्टिसेज के अनुसार बनाया गया है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान होगा ।

महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि यह बिल इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है । मेरा विश्वास है कि सरकार इन सुझावों को अपनाकर बिल को और प्रभावी बनाएगी ।

सभापति महोदय, मेरे यहां शेर-ए-पंजाब में इसी प्रकार का एक हादसा हो गया था । एमजीएल गैस पाइपलाइन के पास रोड तोड़ने के लिए लोग आए थे, रात को काम चालू हुआ था और रात को काम चालू होने के समय एमजीएल गैस पाइपलाइन टूट गयी, उससे तीन आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गए । उसके कारण एक की मौत हो गयी । इसलिए,

इसमें काम करते समय इसके ऊपर सुपरविज़न का होना बहुत जरूरी है । इसका प्रावधान इस बिल में जरूर रखना चाहिए ।

SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FIROZPUR): * I thank you, Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on Boiler Bill, 2024.

In this Bill, there is nothing about public interest or security. Boiler is an important instrument in an industry. But boilers are manufactured by workers. The guarantee period of boiler must be mentioned. And its quality should be such that there is no boiler blast.*

सभापति महोदय, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा मेरे हलके में राइस मिल्स हैं । उसमें छोटे-छोटे बायलर्स हैं । अगर वह बायलर फटता है तो उस एरिया में विस्फोट होता है और उसके कारण कई लोग मारे जाते हैं । उनको कोई कम्पेनसेशन और कुछ भी नहीं दिया जाता है ।

महोदय, सरकार से मेरी विनती है कि अगर कहीं कोई बायलर फटता है या ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसमें मजदूरी करने वाले लोगों को, जो कम्पेनसेशन होना चाहिए, वह दिया जाए । यह बड़ा जरूरी है । मैं देखता हूं कि जो इंडस्ट्री है, उसमें कोई क्वालीफाइड स्टाफ नहीं होता है, कोई इंजीनियर नहीं होता है । वहां किसी को दस हजार रुपये में तो किसी को पाँच हजार रुपये में नौकरी पर रख लिया जाता है । वहां मजदूर लोग काम करते हैं । इसलिए उसकी जो इंजीनियरिंग वगैरह है, उसके बारे में और उसको चलाने के बारे में उनको पता ही नहीं होता है । इसलिए बायलर को चलाने के लिए उनके पास क्वालीफाइड स्टाफ का होना बहुत जरूरी है ।

सभापति महोदय, बायलर के पास एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है । मेरे अपने गांव में एक बड़ी इंडस्ट्री है । जब उसका बायलर चलता है, तब पूरे गांव में एक कालिख हवा में फैल जाती है । उसको कभी किसी ने ठीक नहीं किया, उसका कारण यह है कि रीट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं, उनको कोई चलाता ही नहीं है और बिना रीट्रीटमेंट प्लांट के पूरा पॉल्युशन होता है । इसी तरह जो पानी बॉयल होता है, खास कर के राइस मिलों में, बड़ी इंडस्ट्री में, पानी भी रीट्रीट नहीं होता है और जमीन के बीच बोर कर के उसको फेंक दिया जाता है । इससे उस एरिया का पानी, जो ग्राउंड वॉटर है, वह ज़हरीला हो जाता है । जब उसको लोग पीते हैं तो उनको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से ही मेरे पंजाब में अब कैंसर का हब माना गया है । मालवा क्षेत्र, जो मेरे हलके में है, वहां एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है । कारण यही है कि यह जो इंडस्ट्री है, उनके जो बॉयलर हैं, उनके जो रीट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो चलते नहीं हैं, उनकी वजह से यह

सब कुछ नुकसान हो रहा है । इस अमेंडमेंट बिल में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए थीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है । मैं समझता हूँ कि यह तो केवल करप्शन बढ़ाने के लिए है । पहले भी कोई कम करप्शन नहीं है । ऑफिसर जाएंगें, इंडस्ट्री में बायलर चले न चले, रीट्रीटमेंट प्लांट चले न चले, लेकिन वे पैसे ले कर अपने घर आ जाते हैं । ऐसा जो सिस्टम है, मैं इसका विरोध करता हूँ । जो चीज़ें पब्लिक इंट्रेस्ट की हैं, पब्लिक की हैल्थ के लिए हैं, एनवार्यमेंट के लिए हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें होना चाहिए, तब जा कर यह बिल ठीक होना था । लेकिन इस बिल में सारी कमियां हैं । इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि वॉच कर बिल को दोबारा ले कर आएं ।

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व): सभापति महोदय, बॉयलर अधिनियम पर अपने विचार रखने हेतु, मुझे अवसर देने के लिए, मैं अपनी पार्टी और आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सभापित जी, मैं इस बिल के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ ।

महोदय, विकसित भारत के निर्माण हेतु माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों और औपनिवेशक काल के कानूनों को खत्म करने की बात की थी और ऐसे 2000 से अधिक औपनिवेशिक कानूनों को खत्म किया गया है । 100 साल पुराने बायलर कानून में परिवर्तन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है ।

महोदय, यह विधेयक, 1923 के मूल कानून की विसंगतियों को दूर करता है । यह विधेयक गुलामी की निशानी मिटाने और औपनिवेशिक कानून को हटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है । महोदय, अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए, सदैव परिश्रमरत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बायलर से सम्बंधित सुधार और सुरक्षा कारणों को मजबूत करने हेतु कानून लाने के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ ।

महोदय, यह अधिनियम माननीय मोदी जी के सभी विचारों की तरह ही गरीब कल्याण को ही समर्पित है, क्योंकि बायलर से होने वाली दुर्घटनाओं का सर्वाधिक शिकार हमारा मज़दूर वर्ग ही होता है ।

महोदय, आज भारत की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता की गूंज पूरी दुनिया में है । बदलते समय के साथ बायलर संबंधी गतिविधियों में कड़ी सुरक्षा, जोखिम से निपटने की जरूरत है । साथ ही पर्यावरण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिसका प्रस्तावित विधेयक में ध्यान दिया गया है ।

महोदय, व्यापार करने में आसानी, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, विधेयक एमएसएमई क्षेत्र सहित बायलर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा, क्योंकि

विधेयक में गैर-अपराधीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है । इस विधेयक के प्रावधानों से व्यापार में आसानी होगी एवं छोटे व्यावसायियों के मन से डर हटाने का कार्य मोदी जी की सरकार ने प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से करने का प्रयास किया है । वहीं ऊर्जा की खपत में भी कमी आएगी और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा ।

महोदय वर्ष 2015 के बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में सुधार हेतु मैं सरकार को बधाई देता हूँ । वर्ष 2014 के पहले पूरे विश्व में भारत का स्थान ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में 142वां था । आज मोदी जी की प्रयास की वजह से 65वें पायदान पर भारत खड़ा हुआ है ।

महोदय, बायलर और बायलर का काम-काज करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात अपराधों में से चार प्रमुख अपराधों में, जिनके परिणामस्वरूप जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है ।

महोदय, बायलर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा की नियमित जांच करना जरूरी है, ताकि इस उद्योग में काम करने वालों को खतरों से बचाया जा सके । प्रस्तावित विधेयक सुरक्षा को बढ़ाएगा, क्योंकि विधेयक में बायलर के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बायलर की मरम्मत योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने के विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ।

महोदय, इस विधेयक में दंड के प्रावधानों को सरलीकृत किया गया है और राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने, निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने एवं एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए लगातार प्राथमिकता दी है ।

महोदय, प्रस्तावित विधेयक न्यायिक प्रणाली को सरल बनाकर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने वाला है । विधेयक में परिवर्तन अदालतों पर मामलों के बोझ को कम करता है एवं मामूली नियामक उल्लंघनों का तेजी से समाधान करता है जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी ।

महोदय, प्रस्तावित विधेयक बायलर विधेयक 2024 न्यायिक संसाधनों को अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों के लिए मुक्त करने का शानदार प्रयास है, जिससे अधिक संतुलित और प्रभावी कानूनी प्रणाली का निर्माण हो सकेगा ।

महोदय, बायलर विधेयक 2024 विकसित भारत के लक्ष्य को साधने में महत्वपूर्ण होने वाला है । यह विधेयक भारत के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है ।

महोदय, मैं पुनः आदरणीय नरेन्द्र मोदी साहब को इस बायलर विधेयक 2024 को पुनर्गठित करके अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए बधाई देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और अपना समर्थन देता हूं ।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बायलर विधेयक 2024 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

महोदय, सरकार इसे आधुनिकीकरण और कारोबार को आसान बनाने के नाम पर इस विधेयक को पेश कर रही है । लेकिन, सच्चाई यह है कि यह विधेयक नियम खत्म करने, राज्यों के अधिकार कमजोर करने और उद्योगों के मुनाफे को इंसान की जिंदगी से ऊपर रखने का काम करने वाला है ।

सभापति महोदय, अभी हमने दिसंबर महीने में भोपाल गैस त्रासदी कर 40वीं बरसी मनायी, जो मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी । इसमें हजारों लोगों की जानें गई थीं । आज भी लाखों लोग उस कॉरपोरेट लापरवाही और सरकारी विफलता का परिणाम भुगत रहे हैं । ऐसे समय में जब हमें सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन यह सरकार जुर्माने कम कर रही है, राज्य सरकारों की निगरानी घटा रही है और निजी कंपनियों को स्वयं की सुरक्षा प्रमाणित करने की छूट दे रही है ।

महोदय, इस बिल में मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगा । यह सरकार कहती है कि यह विधेयक औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी । लेकिन, क्या औद्योगिक सुरक्षा लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है?

17.00 hrs

इस विधेयक के तहत सरकारी निरीक्षकों के बजाए निजी एजेंसियों के द्वारा ऑडिट करने की अनुमति दी गई है । यह हितों का स्पट टकराव है । जब निजी कंपनियों को खुद ही सुरक्षा प्रमाणित करने की छूट मिलेगी तो क्या वे अपने मुनाफे के आगे सुरक्षा को प्राथमिकता देंगी? जब इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगी हों, तब क्या निजी एजेंसियों पर भरोसा करना उचित होगा?

महोदय, वर्ष 1923 में इस बारे में कानून बना था और आज तकरीबन 102 वर्ष हो गए । केंद्र की एनडीए सरकार को लगभग 11 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज इन्हें बदलने की आवश्यकता क्यों आई? वर्ष 1923 के कानून में उल्लंघन करने पर आपराधिक सजा का प्रावधान था । कुछ सजाओं में इन्होंने इसे सिविल दंड में बदल दिया है यानी अब उद्योगों के लिए सुरक्षा नियमों को तोड़ना उद्योगपतियों के लिए और आसान हो गया है ।

महोदय, बायलर का उपयोग रासायनिक संयत्रों, बिजली संयत्रों, रेल, तेल रिफाइनरीज़ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में होता है । एक मामूली गलती भी हजारों लोगों की जानें ले

सकती है, फिर सरकार क्यों ऐसे उद्योगों को लापरवाह होने का मौका दे रही है? मैं एक उद्योग का जिक्र करता हूं । माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल साहब डालमिया नगर क्षेत्र में गए थे, तब वे रेल मंत्री थे । हमारे यहां एनटीपीसी नवीनगर और औरंगाबाद में स्थापित है । मैं माननीय महोदय से कहूंगा कि उसकी जांच भी करा लें ।

माननीय सदस्य अभी फ्लाई ऐश की बात कर रहे थे । नबीनगर में जो ऐश डाइक लगाई है, उसकी गहराई बहुत है । यह बहुत ही चिंता का विषय है । सबसे बड़ी चीज है कि जो गहराई बनाई गई है, उसमें जो दीवारें हैं, उनका प्लास्टर नहीं किया गया है । प्लास्टर नहीं करने के कारण वहां का ग्राउंड लेवल वाटर पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है । मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि आप विशेष तौर से इसकी निगरानी करा के कहीं से जांच कराएं । वहां तकरीबन 20 गांव, जहां-जहां पर भी फ्लाई ऐश जैसे उद्योग हैं, वहां 10 किलोमीटर की रेडियस में प्रदूषण फैला रहता है । वहां पर हजारों-हजार एकड़ खेती फ्लाई ऐश से बर्बाद हो चुकी है । जो ओवर लोडेड फ्लाई ऐश की ढुलाई करते हैं, रोड के दोनों किनारे फ्लाई ऐश का ढेर लगा रहता है । इसके कारण वहां अगल-बगल की जगहों के ग्रामीण मोटर साइकल स्लिप होने के कारण बार-बार दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं ।

मैं दो बातों का जिक्र करूंगा । यह विधेयक केन्द्र सरकार और राज्य नियुक्त निरीक्षकों के फैसलों के खिलाफ निचली अदालतों में अपील करने के अधिकार को समाप्त कर देता है । अब पीड़ित को सीधे हाई कोर्ट जाना होगा । क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई फैक्ट्री मजदूर, जिसे औद्योगिक दुर्घटना में चोट लगी हो या कोई और तरह की दुर्घटनाएं हुई हों, वह सीधे हाई कोर्ट पहुंच पाएगा? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि बायलर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर केवल आर्थिक दंड नहीं, सिविल पेनाल्टी के बजाए, आपराधिक सजा का प्रावधान रखा जाए । फैक्ट्री मजदूर, गरीब श्रमिकों, छोटे उद्योगपतियों को सभी अदालतों में अपील की अनुमति दी जाए, सिर्फ हाई कोर्ट तक उसे सीमित नहीं रखा जाए । यही आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, I rise today not in opposition to safety but in defence of genuine safety, constitutional morality and the principles of modern federal India.

Sir, the Boilers Bill, 2024, while draped in the language of reform, reads less like a safety measure and more like an industrial oversight Act, hastily written with one eye on ?Ease of Business rankings? and the other close to the lessons of history.

Sir, let me be very clear, boilers are not metaphors. They are metal vessels under pressure. When they fail, people do not just lose jobs, they lose lives.

Sir, this Bill wants us to believe that the process of deregulating safety, disallowing judicial scrutiny and empowering inspectors without safeguards is somehow a leap forward. No, Sir, it is a slip backward into a dangerous zone of unaccountable governance. We are told that this Bill modernises boiler regulation. But what is so modern about continuing a law only for boilers while the rest of the industrial safety framework in India is being consolidated under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020?

In countries like UK, South Africa, and Japan, boilers are governed under broad workplace safety laws. Why must India alone stick to an archaic, segregated regime, especially when this Bill retains almost all the provisions of the 1923 law and just adds cosmetic tweaks? If we are truly committed to modernisation, we should have integrated this under a comprehensive safety code, not enacted a parallel law that creates confusion, duplication, and opacity.

This is an attack on federalism and workers? rights. This Bill gives State Governments the power to exempt entire areas from the law. In Kerala, we pride ourselves on strict enforcement of safety laws. But what happens in other parts of the country where industrial lobbies may be stronger than regulatory will?

A blanket exemption in the name of rapid industrial growth is nothing but a green signal for unsafe practices in fragile zones. It is a move that undermines uniform safety standards and, worse, undermines labour rights. Let us not forget that boilers are used in tea estates, textile factories, rice mills, and rubber processing units many of which are in rural areas and employ vulnerable workers.

In exempting zones or delaying inspections, we risk their lives for the sake of so-called industrial ease. This Bill bars judicial recourse. If a Chief

Inspector rejects your application or delays your registration indefinitely, your only option is a writ petition to the High Court. There is no appellate body or tribunal, and there is no fair hearing. Even the 1923 Act had a better appellate structure. This not only goes against the grain of natural justice, it also further centralises power and leaves small-scale manufacturers and operators, many from States like mine, at the mercy of bureaucratic discretion.

Inspectors are granted search and entry powers, but the Bill has no safeguards, no requirement for written reason, no witness rule, no penalty for misuse, nothing. Contrast this with the Food Safety Act or the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which does impose safeguards. This omission is not oversight; it is a licence to intimidate.

Small-scale units in Kerala, especially in sectors like cashew processing and coir manufacturing, cannot afford this kind of arbitrary power without redress. States like Goa, Tamil Nadu, and Gujarat have already introduced self-certification for boilers in low-risk use cases. Instead of learning from these reforms, the Bill fails to codify self-certification as a legitimate pathway, even where risks are minimal and designs are standardised.

Sir, is this really about safety or is it about control? That is the real question. We, in Kerala, have always viewed industrial growth as inseparable from workers? dignity and democratic accountability. The Boilers Bill, 2024, I am sorry to say, offends both. We are not opposed to regulation. We are opposed to opaque regulation without appeal, without consultation, and without vision.

Sir, in conclusion, I would urge the Government and the hon. Minister Piyush Goyal ji. He is a learned man. I do not know how he can come out with a Bill like this. It is my request to withdraw this Bill for wider consultation with States; integrate boiler safety into the occupational safety code; introduce clear appellate mechanisms and inspection safeguards and recognise self-certification as part of progressive compliance reform.

As this House is serious about safety, it must be serious about democracy, transparency and justice. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for providing me this opportunity to take part in the debate on the Boilers Bill, 2024, moved by hon. Minister, Shri Piyush Goyal.

In a way, I rise to support the Bill. But I have some strong reservations regarding the contents of the Bill. Sir, the original Bill of 1923 had been drastically amended in 2007. The intent or legislative objective is to repeal all the British laws that were existing in our country, refreshing them to be used according to the prevailing industrial scenario. I fully agree with it. But, the question to be considered is whether the safety aspect is being compromised. That is the point to be considered by this House when we do consider this Bill. The points, which are being stated in the Statement of Objects and Reasons are the regulation of the manufacture and use of boilers, ensuring safety of life and property of persons from the danger of explosion of boilers. It proposes to restrict the unregistered and uncertified boilers, mandate the reporting of accidents, and bring uniformity in the registration and inspection process throughout the country. Further, a contentious or a controversial provision is also made in the Bill, that, is the third-party auditing.

Sir, there are three concerns which I would like to express here, and seek clarification from the hon. Minister. Nowadays, after 2014, if you critically examine the 11 years of the legislative experience of this House, almost all the legislations are related to finance, and ?ease-of-doing-business?. The ease-of-doing-business is the prime concern of this Government. But, the main question to be considered is, at the time when you speak about the ease-of-doing-business, you are compromising with the issues of labour, compromising with the safety, and compromising with the environmental impact and the ecological security. This is the concern which we would like to make. In the name of ease-of-doing-business and GDP growth rate, all other essential requirements, which are given for the

survival of the livelihood of all these people are compromised; the ecosystem is being compromised.

As far as the decriminalization process is concerned, you can see the decriminalization process in almost all the laws. Sir, in this Boilers Bill of 2024, there are seven offences. Out of the seven offences, four offences are still retained, and three offences are relaxed. I do not mention about the Bhopal gas tragedy. Everybody knows what has happened in case of the Bhopal gas tragedy. Even now, the victims have not got the compensation, and even the case is still pending. No relief has been given to the victims of that gas tragedy. That is in our experience.

As far as my constituency is concerned, so many industries are there. There is the Kerala Minerals and Metals Limited. Air pollution is one of the very, very necessary factors to be taken into account. That is why, the Boilers Act was enacted even in the year 1923, during the time of the British period because the concept of safety can never be compromised.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government is compromising with the safety aspect by decriminalising it or by relaxing it. My second concern is regarding the ease-of-doing-business where there is third party audit for certification. What is the legislative objective behind it? Is it to avoid the bureaucratic delay? Sir, is this the way by which the bureaucratic delay can be avoided? The third-party certification is a private party certification. At any time we can, if you are having an efficient administration, avoid the bureaucratic delay. But here, in the name of the bureaucratic delay, you are entrusting the third-party audit to a private agency. Definitely, that will be a collusion with the industry, and the safety aspect will be compromised. That is the second apprehension which I would like to highlight.

The last one is regarding the environmental impact, and its alignment with the safety standard. Sir, strict quality measures have to be taken, and routine inspection is highly required.

We know the pollution in Delhi. We know it very well, and 128 industries were closed, as per the direction of the honourable Supreme Court in such a situation. I request the Government to not compromise the environmental, ecological safety, and protection regarding all these things.

My final point is regarding the rule-making provision. Arbitrary powers are being conferred. Why did the British Government not mention anything regarding the rule-making provision? You are coming with the rulemaking provision, by which arbitrary authority will be vested with the Central Government. Instead of making a clear provision in the Act, you are getting the rule-making provision, by which more powers are being exercised.

I, once again, would like to seek the clarification on all of them. With this observation, I am supporting the Bill. Thank you.

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, hon. Chairperson, for allowing me to participate in the discussion on the Boilers Bill, 2024.

My colleague, Mr Premachandran, has mentioned certain things which I would like to reiterate again so that emphasis could be given on certain issues. Sir, boilers have different sizes and, therefore, many rules and regulations have been incorporated in this law. I really appreciate the Government for this. There is no doubt about it. They have tried their best to do this. But while doing so, they have forgotten the most important issue.

What will happen, if the boilers are situated in an area ranging from 250 square metres to 1,000 square metres? Its radius increases gradually like this. Earlier, for boilers situated within a radius of 300 square metres, it was necessary to have a first-class operator for the boiler. You can call him the Boiler Engineer. Today, you have increased the radius limit to 1,000 square metres. Now, what will happen? For the small boiler, you do not need a Boiler Engineer. You do not need any experienced person. You will give it to a private vendor. He will install it. But do the vendors, who would install these boilers, have any experience? Who is going to check or verify that? Do they have experts? Earlier, it was categorically mentioned that for the first-class boiler installation, the First-Class Boiler Engineer was required.

Now it is not so. That provision is going to create a problem for you. So, when you talk about the safety of the small boilers, you cannot give it in the hands of the people who do not have any experience in the field and do not know about the boiler engineering.

Then, the Bill also proposes for an independent third-party inspecting authorities for inspection and certification purposes. How is the third party going to do it? What is the certification with that third party? Do we know whom the third party is going to recruit? Have they any experience? Are they expert in those fields? Then, the Inspector will go for inspection once in a year. I would urge the hon. Minister to make a provision so that the Inspector should visit once in six months. If he goes once in a year, he will go for a tea party and do nothing else.

The Government is going to bring in a provision for the safety of persons who are going to work over there. But the labour laws you are going to bring in are the worst. They will not protect the labourers who are there. Have you ever thought what will happen if the temperature rises? All these things are there; penalization is there; rules are there, but what about remedial measures? What will happen if something goes wrong?

The hon. Member, who spoke before me has given the example of Bhopal incident. I will give another example. You are from Mumbai. We all know what happened when the oil tanks of Bharat Petroleum or Hindustan Petroleum caught fire on the island near Mumbai port. After that incident, the Mumbai Port Authority recruited firefighters. They did, like the municipal corporations, appoint firefighters. Those firefighters were appointed on a contract. Does the Government really want to save the people? Have you ever thought what would happen when the contract with the vendor will be over? All those people will be on road. They are not going to get a job again. What will happen with the safety issue? Therefore, I request the hon. Minister to ensure safety of the people working over there. No doubt, preventive measures have been provided. But there are no remedial measures.

Sir, it has happened in Mazgaon also. These are the companies that we support. I, therefore, request you to make a provision for inspection once in six months. There is a provision for even boilers within the radius of 200 square meters. You need an expert Boiler Engineer to examine and certify them. If you do not do it, and if you go for a limit of 1,000 square metre, then the smaller ones will be installed by any Tom, Dick and Harry, and some accidents may take place. But you will say that it was there in the law. .... *(Interruptions)*

I appreciate the hard work done by the Government because they have thought at the macro level. We should be appreciating them for those things. So, I support the Bill with an expectation that these precautions will be taken into consideration by the bureaucrats of the Ministry. Thank you, Sir.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): This Bill is for regulation of boilers, safety, as well as controlling the danger of explosions and related issues. Consequently, the 1923 Act is annulled. The inspection and certification process has been properly specified in this Bill. Banning unregistered and uncertified boilers has also been mentioned. The responsibility is fixed on the erring persons, and offences and penalties are included in this legislation. While that is good, I would like to add one more point. The 1923 Act is annulled, and we are in the process of creating a new one. In drafting new legislation, I firmly believe we could have introduced a comprehensive legislation that considers additional matters, such as health hazards in industries and environmental impacts, which my learned friends have discussed. The occupational issues are also critical. The industrial accidents are alarming. Between 2012 and 2022, registered factories reported over 1,000 worker fatalities each year, averaging at least three deaths daily. In 2024, there were at least 240 workplace accidents in the manufacturing, mining, and energy sectors, resulting in over 400 deaths and more than 850 serious injuries. The Government data indicates that nearly 6,500 workers

died in industrial accidents over a five-year span in factories, ports, and mines.

Therefore, I suggest implementing training for the offices, as the situation has already changed with technological advancements. An effective training process for inspectors should be ensured. We are all aware of various issues, including workers? cases and accidents. There are several committees in which the workers? participation should be ensured. As mentioned by my friends, we are talking about the health and conditions of the boilers, at the same time, the workers in this industry are also facing problems. I have worked in a chemical factory for about 10 to 15 years. It gave me unique experience in this area. Therefore, I believe that the workers? perspectives should be thoroughly discussed.

Furthermore, when we talk about R&D in the industrial sector, it is crucial. We need to take effective steps regarding hazards, improving compliance and safety regulations, and enhancing overall efficiency. All these aspects must be given proper consideration, and effective measures should be taken. When I am talking about R&D in the industries, as I mentioned earlier, we need to apply emerging technologies in industries, including artificial intelligence, machine learning, productivity analysis, and robotic interventions to address accidents. We must update our practices to meet the challenges of the modern world and optimize the use of these technologies.

I would like to briefly mention pollution control. My friends have pointed out that the Pollution Control Board must assess whether their performance meets the required standards. This needs to be examined in detail, and effective steps must be taken in this regard. Regarding the prosecution process, I emphasize that the complaints against the employers are serious issues that have been overlooked without adequate research. This aspect also needs to be strengthened. However, the intention of the Bill is good, but these considerations should also be prioritized. Thank you very much.

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Thank you for the opportunity, Chairman, for allowing me to speak on the Boilers Bill, 2024 which aims to replace the century-old colonial law of 1923. While I understand the Government?s need to timestamp all legislation going forward, I want to emphasize that I expected the Government to address the actual misuse of this Act. Did we really need to replace this Act? Could the Factories Act of 1948 not be expanded to, maybe, include the safety concerns? Could we also not bring this into the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code of 2020, which could probably address this? So, this is a highly misused Act, and that is because corruption is rampant in the boiler industry.

Sir, in passing of designs, renewal of licences, pumpman's exams, waterman exams, and boiler attendant exams ? in every important department, there is huge corruption. Could they not somehow try and stop that? Yes, they tried to privatise it allowing third parties. Bringing in third parties, in a way, is just privatising corruption, thus legalising it. बायलर इंस्पेक्टर जो पैसे मांगता था, today that private third party is going to ask for it. So, they decriminalised it, great, but where is the accountability? If a boiler accident happens, the accountability lies with the industry. If the same boiler inspector is now passing, he is not accountable. He is not going to jail; the industry owner is. Is there any accountability? And if you had to bring in the law, could you not, like the Pollution Act, try to bring in real-time data? So, in real-time, could you not monitor these boilers, try to understand what their pressure is, and what the temperature is? Could we not use smart diagnostics to, maybe, get this done?

Sir, regarding appeals, there is a problem because if the State Government or the Central Government is against us, there is no opportunity to appeal and no judicial recourse available in the Act. Even the appeal of the Chief Inspector cannot be allowed.

Sir, I would also like to ask this. Is it still possible to bring in more people for further consultation regarding this Bill? I do not think that this Bill

was necessary now. The Government could have brought in this Bill with a lot more thought.

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : माननीय सभापति महोदय, आज इस गौरवशाली सदन में खडे होकर मैं अपने हृदय की गहराइयों से देश के यशस्वी, ओजस्वी और दूरदर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को नमन करती हूं, जिनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता तथा दूरदृष्टि के कारण भारत आज नए स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है ।

मैं माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं, जिन्होंने श्रमिकों के हित में बायलर विधेयक, 2024 प्रस्तावित किया है । आज हमारी सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे सभी क्षेत्र तेजी से विकसित और आधुनिक हो रहे है । हमारी सरकार श्रमिकों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और नई तकनीकों को अपनाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें तैयार कर रही है ।

आज़ादी के बाद दशकों तक श्रमिकों की स्थिति सुधारने और उनकी सुरक्षा को लेकर कार्य किया जाना था, लेकिन वह नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों ने इसे सिर्फ कागजों पर रखा । वर्ष 2014 के बाद हमारी सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा और श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए । यह मोदी जी के उस संकल्प का प्रतिबिंब है, जो उन्होंने इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए लिया है । हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महायुग के साक्षी बने हैं, जब भारत अपनी विजय गाथा और विकास गाथा लिख रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष बायलर विधेयक, 2024 पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ । मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं कि बायलर विधेयक, 2024 क्या है? हमारे प्रधान मंत्री जी की सोच है कि एक सुरक्षित मशीन केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि श्रमिकों के जीवन और परिवारों की सुरक्षा की गारंटी भी है । इसी उद्देश्य को लेकर बायलर विधेयक, 2024 मोदी सरकार द्वारा तैयार किया गया है । यह एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयों में सुधार करना है । इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 1923 के बायलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है, जो भारत के विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में अप्रभावी साबित हुआ है ।

यह विधेयक केंद्रीय बायलर बोर्ड की प्रस्तावित संरचना को विस्तार से परिभाषित करता है, जिसमें इसकी संचालन समिति और विभिन्न उप-समितियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है । इसके साथ ही यह विनिर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण एवं निरीक्षण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं

की स्थापना करता है । यह विधेयक भारत में एक गतिशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बायलर विनिर्माण पारिस्थितिकी के तंत्र की स्थापना करेगा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे, ज्ञान उद्योग एवं नवाचार की क्षमता को बढ़ावा देगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बायलर विधेयक, 2024, जो सुरक्षा और विकास का प्रतीक है, यह विधेयक हमारे देश को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा । यह उद्योगों को नयी ऊर्जा देगा, यह श्रमिकों की जिन्दगी को सँवारेगा, एमएसएमईज़ को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा । मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व के लिए धन्यवाद देती हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी ।

आओ श्रमिक, गरीब साथियों, विकसित भारत का नारा दो,
राजनेता, शिक्षित, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,
फिर देखें, ये विपक्ष कितने बर्बर, बौराए हैं,
तिलक लगाने तुम्हें साथियों, मोदी जी बायलर क्रांति लाए हैं ।

धन्यवाद ।

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस विशेष विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ । इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं बायलर विधेयक, 2024 पर अपने विचार रख रही हूँ ।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2013 में बायलर विस्फोटों से 359 लोगों की मौत हुई थी और वर्ष 2022 एवं वर्ष 2024 में कई बड़े हादसे हुए । उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बायलर विस्फोट से 12 लोगों की जान गई थी और वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के ठाणे में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी । वैश्विक स्तर पर, लगभग 23,000 बायलर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 34 प्रतिशत मौतें भारत में हुई हैं । यह स्थिति चिंताजनक है । इसे देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी बायलर विधेयक, 2024 लाए हैं । इसके पहले की सरकारों ने पहले कभी इसकी चिन्ता नहीं की थी । यह विधेयक न केवल हमारे औद्योगिक सुरक्षा मानकों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की प्रगति और विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा ।

बायलर विधेयक, 2024, बॉयलर अधिनियम, 1923 का स्थान लेता है । यह विधेयक बायलर के डिजाइन, निर्माण, स्थापना, संचालन, और मरम्मत से संबंधित सुरक्षा मानकों को आधुनिक समय के अनुरूप बनाता है । इससे औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी ।

हम सभी जानते हैं कि बायलर से संबंधित दुर्घटनाओं में पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं । एक आँकड़े के अनुसार, भारत में बायलर से संबंधित हादसों में लगभग 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है । ये आंकड़े हम सभी के लिए चिंता का विषय हैं । इसी को ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार ने बायलर विधेयक, 2024 को पेश किया है । इस विधेयक के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए जाने चाहिए । पहला है, सुरक्षा मानकों का पालन । बायलर निर्माताओं को बायलर और उनके घटकों के डिजाइन को प्रमाणित करवाना अनिवार्य किया गया है, जिससे उसकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी । दूसरा है, पंजीकरण और निरीक्षण । तीसरा है, दंड और जिम्मेदारियाँ । बिना अनुमति के बायलर में परिवर्तन या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है । चौथा है, राज्य सरकारों की भूमिका । राज्य सरकारों को औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रावधानों में छूट देने का अधिकार होगा, यदि वे बायलर निर्माण और सामग्री से संतुष्ट हों।

इस विधेयक में कुछ अन्य सुधारों और सुझावों को भी शामिल किया जा सकता है, जो सुरक्षा, पारदर्शिता और अनुपालन की प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं ।

पहला है, स्वतंत्र अपीलीय तंत्र की स्थापना । जैसे कि विधेयक में निरीक्षकों के निर्णयों के खिलाफ न्यायिक सहायता का प्रावधान नहीं है, इसकी बजाय एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र की स्थापना की जा सकती है । इससे उद्योगों को किसी भी गलत निर्णय के खिलाफ उचित न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा ।

दूसरा है, निरीक्षण की दृष्टि से स्पष्ट समय सीमाा होनी चाहिए । बायलरों के निर्माण, निरीक्षण और मरम्मत के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे उद्योगों को किसी भी निरीक्षण या स्वीकृति के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । इससे प्रक्रिया में गति आएगी और व्यापारियों के लिए कार्यक्षमता में सुधार होगा । यह विधेयक न केवल औद्योगिक विकास की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा और जीवन की रक्षा को भी गहन बनाता है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो और उनके प्रयासों से आज हमारे पास इस प्रकार का एक सशक्त विधायी ढांचा है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह विधेयक औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है । अंत में, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे पक्ष और विपक्ष को भूलकर भारतवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक का समर्थन करें ताकि हम सभी मिलकर अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा सकें ।धन्यवाद ।

श्री पीयूष गोयल: सभापति महोदय, धन्यवाद ।

मैं तो हैरान हूं कि ऐसा बिल, जिसमें वास्तव में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, साधारणत: एक अच्छी व्यवस्था है, जो वर्षों से चल रही है । इसका जो मूल बिल है, जो मूल कानून है, वह वर्ष 1923 में बना था । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आधुनिक सोच है कि देश को गुलामी की मानसिकता से निकलना चाहिए, पुरानी बातों को हम कब तक झेलते रहेंगे, कब तक पुराने तौर-तरीकों पर देश चलेगा । इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कानून को अच्छे तरीके से देखा । जो अच्छी बातें थी, उन्हें यथासंभव कायम रखा । जहां हमें लगा कि कुछ सुधार हो सकता है, चाहे वह डेफिनेशन्स में हो, चाहे इन्सपेक्शन के प्रावधानों में हो, अलग-अलग प्रकार से इस कानून को, जो लोग, स्टेकहोल्डर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे चर्चा करके आज के परिपेक्ष में इस कानून को सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखा है ।

सभापति महोदय, इसके बावजूद जब 19 माननीय सांसद इसकी चर्चा में हिस्सा लेते हैं, तो खुशी होती है कि हमारे माननीय सांसदों में इतनी चेतना है, इतना उत्साह है । थोड़ी-बहुत हैरानी भी होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बेबुनियाद बातें भी कुछ सांसदों ने रखीं । विपक्ष के तीन-चार सांसदों ने बार-बार भोपाल गैस ट्रैजिडी की बात की । मैं हैरान हूं कि भोपाल गैस ट्रैजिडी बायलर बिल में कहां से आ गई? भोपाल गैस ट्रैजिडी का जो मूल कारण था, वह था कि गैस टैंक, जो मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर करता था, उसमें लीकेज हुई थी, उसके प्रेशर में दिक्कत आई थी और वह लीक हो गया था । उसमें शायद मेंटिनेंस के समय पानी घुस गया था । बाकी जो कारण होंगे, उनको, जो जांच कमेटी उस पर बैठी थी, उसने देखे ही होंगे । लेकिन, इसका बायलर से दूर-दूर तक, कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है । बायलर होता है, जहां स्टीम का इस्तेमाल करके हीट जनरेट होती है । उस हीट से फरनेस चलते हैं या अलग-अलग प्रकार के काम किए जाते हैं ।

मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि अच्छा रहता, अगर थोड़ी और जानकारी या बिल का जो व्यापक स्वरूप है, उसको भी कुछ माननीय सांसद, जिन्होंने बेबुनियाद बातें की हैं, वे उसको अच्छी तरह से समझते । कुछ तो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं । उन्होंने भी जब भोपाल गैस ट्रैजिडी को इसके साथ जोड़ा, तो मैं बहुत ही हैरान हुआ ।

खैर, be that as it may, जैसा कि मैंने कहा, गुलामी के माइंडसेट, कोलोनियल माइंडसेट, पुरानी सोच को, पुराने तौर-तरीकों को बदलने के लिए, अफसरशाही कम करने के लिए जो हमारी मूल सोच है, वह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सोच है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश को बार-बार प्रोत्साहित करते हैं कि हम सबको, 140

करोड़ भारतवासियों को मिलकर एक आधुनिक भारत, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत वर्ष 2047 तक बनाना है ।

यह तब ही संभव है, जब पक्ष-विपक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, हम सब विश्वास के साथ हमारे उद्योग जगत के साथ अपना रवैया रखें । ?विश्वास? एक ऐसा शब्द है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर देशवासी पर रखते हैं । इसीलिए, देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जिताकर तीसरी टर्म में तीन गुना तेज गति से, तीन गुना ज्यादा, तीन गुना और प्रभावशाली काम करने के लिए चुनकर भेजते हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर खरे उतरकर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं ।

मित्रों, अगर वास्तव में इस कानून का मूल देखें, तो वर्ष 1863 में एक बड़ा सीरियस बायलर एक्सप्लोज़न कोलकाता में हुआ था । उस दुर्घटना में कई सारी जानें गईं । इसके कारण लगा कि बायलर्स के इंस्पेक्शन के लिए कोई कानून लाना चाहिए, तो बंगाल की सरकार 1864 में, मेरे जन्म से ठीक सौ वर्ष पहले एक कानून लेकर आयी, जो स्टीम बायलर्स के इंस्पेक्शन को प्रोवाइड करता था । यहां से बायलर के कानून की गाथा शुरू हुई । उसके बाद सात अन्य राज्यों ने, जिन्हें उस समय प्रोविंसेज बोलते थे, अपने-अपने कानून बनाए । ये सभी कायदे कानून अलग-अलग थे । सातों राज्यों का कोई मेल नहीं था । उससे कठिनाई आती थी । कंसिस्टेंसी नहीं थी और इन अलग-अलग प्रावधानों की वजह से काम करने में दिक्कत न हो, उसकी वजह से उस समय की केंद्र सरकार ने एक कमेटी बायलर लॉ वर्ष 1920 में बनाई और उनके सुझावों के आधार पर वर्ष 1923 में इंडियन बायलर एक्ट तैयार किया गया, जो एक यूनिफार्म सेट ऑफ टेक्निकल रेग्यूलेशंस थे और मॉडल सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स देश भर में बायलर कानून को सामान्यत: लागू करने के हिसाब से बनाए गए । इसमें ध्यान दिया जाए कि ये जो एक्ट था, यह टेक्निकल मैटर्स पर ज्यादा निर्धारित था और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के आधार पर था । जिन्हें रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, वह टेक्निकल मैटर्स थे और रूल्स के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रावधान बनाने का निर्णय हुआ । उसके बाद वर्षों-वर्षों तक इस कानून में छोटे-बड़े बदलाव आते रहे । वर्ष 2007 में इसमें एक व्यापक चर्चा करने के बाद बदलाव आया ।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को थोड़ा बहुत जरूर बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के काम करने के ढंग और प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार के काम करने के ढंग में क्या फर्क है । मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में बदले गए कानूनों की शुरूआत कब हुई थी । 35 साल पहले वर्ष 1972 में सरकार ने एक हाई पॉवर कमेटी बनाई कि बायलर रेगुलेशन्स पुराने हो गए हैं, उनका व्यापक ओवर व्यू किया जाए । कम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ

दि लॉज ऑन बायलर्स एंड अनफायर्ड प्रेशर वैसल्स के लिए हाई पॉवर कमेटी बनी । वर्ष 1974 में रिपोर्ट दी, जिसमें 21 अनुशंसाएं थीं । अंतरमंत्रालय चर्चा करके 16 अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया । कैबिनेट ने वर्ष 1993 में यानी 1974 में स्वीकार किये गए प्रावधानों को वर्ष 1993 में 19 साल बाद पास किया । हम सभी को पता है कि उस समय किसकी सरकार थी ।

सभापति जी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी ।

17.45 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे समझने में मुश्किल हो रही है कि माननीय सदस्य अटल जी का नाम क्यों ले रहे हैं । उस समय आपने इमरजेंसी थोपी थी, जब आपके पास विपक्ष की भी कोई तकलीफ नहीं थी । आपने सभी पावर्स अपने पास रखी थीं । आपने विपक्ष को जेल में डाल दिया था । तब भी इनमें साहस नहीं था कि जिस कानून में सुधार इन्हीं की सरकार के नेता की दादी जी ने जो कमेटी बनाई थी, उसने जो सुझाव दिए थे, उस समय इमरजेंसी में सारी पॉवर्स होने के बावजूद, उन सुझावों को लागू नहीं कर पाईं । फिर वर्ष 1981 में उनकी सरकार आई, लेकिन कानून नहीं ला पाईं । वर्ष 1984 में इनके पिताजी आए, वे कानून नहीं ला सके । पांच साल तक 424 एमपीज की सरकार थी, लेकिन कानून लागू नहीं कर पाए । इनका इस तरह का ही काम करने का ढंग था कि लटकाओ, पेंडिंग रहने दो । इन्हें देश के सुधार की कहां पड़ी थी । खैर वर्ष 1994 में इंडियन बायलर अमेंडमेंट बिल राज्य सभा में पेश किया । राज्य सभा ने स्टैंडिंग कमेटी को बिल दिया गया । रिपोर्ट वर्ष 1995 में आई । फिर बोल दिया कि दोबारा परामर्श करेंगे और बिल लटका दिया । फिर वर्ष 1997 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई । उस कमेटी ने फिर बिल राज्य सरकारों को भेज दिया । वर्ष 1999 में परामर्श के बाद केबिनेट नोट बना और उसे सभी यूजर्स, स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बिल लाई ।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1972 से 1999, 27 साल तक कांग्रेस की सरकार बिल लटकाती रही । वर्ष 1999 में जो प्रावधान कांग्रेस के समय तय किए गए थे, अटल जी उन प्रावधानों की लोगों से चर्चा करके सदन में लाए । केबिनेट ने वर्ष 2000 में अप्रूव किया और उसे राज्य सरकारों से चर्चा करके सदन में जब पेश किया तो आपको हैरानी होगी कि उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस ने खुद के बनाए प्रावधानों को अपोज किया । यानी जब वे सरकार में थे, तो कुछ सुझाव अच्छे लगे । उन्हें पेश किया । अटल जी को लगा कि कांग्रेस ने प्रावधान बनाए थे, इसलिए जरूर समर्थन करेंगे लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रावधानों को ही

अपोज कर दिया । अटल जी सर्वदलीय, सबको साथ लेकर चीजों को आगे बढ़ाते थे लेकिन इन्होंने उस बिल को भी पास नहीं होने दिया । उसके बाद जब वर्ष 2007 में कांग्रेस की सरकार वही कानून फिर लाई, तो विपक्ष में होने के बावजूद हमने समर्थन किया और उसे पास किया, क्योंकि हम देश हित को प्राथमिकता देते हैं । हमारे लिए देश सर्वप्रथम है । हमारे लिए राजनीति कोई साधन नहीं है कि हम हर चीज में नोंक-झोंक करें या अपोज करें । मुझे खुशी है कि आज प्रो. सौगत रॉय जी ने इसका समर्थन किया । मुझे खुशी है कि प्रेमचन्द्रन जी ने अपनी बात कही और इसका समर्थन किया । मैं बताना चाहता था कि कैसे राजनीति ने इस देश का नुकसान किया है। विशेष कर इस प्रकार की राजनीति जो सत्ता में है तो एक सोच है और यदि विपक्ष में है तो दूसरी सोच है और हर चीज का अपोज करो, हर चीज में फेक नेरेटिव डालो, हर चीज में गलतफहमी पैदा करो । बायलर बिल में भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करो । इस प्रकार की जो छोटी सोच है, उस छोटी सोच में सुधार करने की आवश्यकता है ।? (व्यवधान) आप ज्यादा उत्तेजित मत होइए । आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, क्योंकि इस बिल में कुछ आलोचना करने लायक था ही नहीं । यह वास्तव में सर्वसम्मति से पास करने वाला बिल है ।

आज कई सारे विपक्ष के सांसदों ने यह बात रखी कि आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को क्यों अलाऊ किया? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने से सेफ्टी के साथ कम्प्रोमाइज कर दिया । मैं तो हैरान हूं, हमने इस बिल में कोई बदलाव नहीं किया है । थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वर्ष 2007 के कानून में आया । उस समय आप लोगों की, कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें डीएमके और बाकी सभी मित्र पक्ष सभी समर्थन करते थे । आज आप अपने आप की ही आलोचना कर रहे हैं । यह कानून आप लाए थे । हमने तो उसी कानून को आगे बढ़ाया है । उल्टे, थर्ड पार्टी को हमने और मजबूत किया है । जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स चेक करते हैं, उनके ऊपर एक ओवरसाइट कैसे हो, किस प्रकार से अच्छे लोग काम करें, अफसरशाही हावी न हो जाए, हम तो इसके लिए काम कर रहे हैं ।

महोदय, प्रेमचन्द्रन जी ने ?ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? के लिए आलोचना की । यह हो सकता है कि केरल में वे बिजनेसेज में अड़चनें डालना चाहते हों, वह एक अलग बात है । पर, मुझे लगता है कि आज ?ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? और ?ईज़ ऑफ लिविंग? पूरे देश की धारणा बन चुकी है । यह आज के समय की मांग है । इस समय की मांग के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी आज देश में बड़े-बड़े परिवर्तन कर रहे हैं ।

महोदय, यह भी कहा गया कि छ: महीने में इंस्पेक्टर्स को भेजा जाए । मैंने तो अपना सिर पटका कि कमाल है, क्या आप चाहते हैं कि हर छ: महीने में सरकारी अफसर और इंस्पेक्टर्स अन्दर जाए और बिजनेस को तकलीफ दे? क्या आप चाहते हैं कि लोग यहां पर

निवेश न करें? क्या आप चाहते हैं कि देश में फिर आपके समय जैसी महंगाई हो और यह देश एक पिछड़ देश बन जाए? यह स्वाभाविक था और यही कारण रहे होंगे कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक हमने देखा कि देश कैसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था से एक कमजोर अर्थव्यवस्था बन गया । वर्ष 2004 में हमने देखा था कि अटल जी ने इस देश को इतनी मजबूत व्यवस्था में छोड़ा था । उस समय high growth rate, low inflation, high foreign currency reserves, strong macroeconomic fundamentals, ये चिदम्बरम जी को, मनमोहन सिंह जी को विरासत में मिले थे और उन्होंने वर्ष 2014 में मोदी जी के लिए क्या छोड़ा - एक ?फ्रैजाइल फाइव? इकोनॉमी, एक कमजोर अर्थव्यवस्था, जहां ग्रोथ 4 प्रतिशत थी और महंगाई 8 प्रतिशत थी । उस समय बैंक जर्जर हालत में थे, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थी।? (व्यवधान) आपने आज जो सोच दिखाई, इसी सोच ने देश को दस सालों में पिछड़ा बना दिया । इसी सोच ने यह हालत कर दी थी कि भारत का पासपोर्ट लेकर अगर दुनिया में कहीं जाते थे तो वहां कोई इज्ज़त नहीं मिलती थी । पर, आज आप दुनिया में किधर भी जाएं ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर भारत आए थे । वे आज सुबह मुझसे मिले । शायद वे अभी स्पीकर सर के पास भी आए थे । भारत के साथ व्यापार करने की उनकी बहुत इच्छा है । उन्हें इसका बहुत उत्साह है कि वे भारत के साथ संबंध बढ़ाएं ।? (व्यवधान) आज दुनिया भर के देश भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें भारत में ताकत दिखती है ।? (व्यवधान) आज उन्हें दिखता है कि भारत एक विकसित देश बनता जा रहा है ।? (व्यवधान) उनको आज यह दिखता है कि कैसे आज भारत तेज गति से दुनिया में विकास में सर्वप्रथम देश बनने जा रहा है । आज बड़े-बड़े सात प्रमुख देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करके व्यापार बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आज ?ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस? दिखता है । उनको दिखता है कि यहां एक डिसाइसिव लीडरशिप है, एक ऐसा नेतृत्व, जो निर्णय ले सके, कोई कमजोर नेतृत्व नहीं और एक ऐसा नेतृत्व नहीं, जिसकी पार्टी का एक छोटा-सा पदाधिकारी कैबिनेट और प्रधान मंत्री के निर्णय को प्रेस के सामने फाड़ कर उसकी धज्जियां उड़ा दे ।? (व्यवधान) आज का देश वह देश नहीं है । आज के प्रधान मंत्री में ताकत है । आज के प्रधान मंत्री, आज की सरकार जब निर्णय लेती है तो वह देशहित में और जनहित में निर्णय लेती है । इसलिए बायलर के कानून में सुधार, देशहित, हमारे कामगारों का हित, देश के छोटे-बड़े उद्योगों का हित, इन सबको देखते हुए इस प्रकार के कानून देश में लाए जा रहे हैं ।

महोदय, कुछ मित्रों ने यह कहने की कोशिश की कि इसमें एग्ज़क्यूटिव पॉवर्स बहुत ज्यादा दे दी गयी हैं । जब हम किसी कानून को डीक्रिमिनलाइज़ करते हैं, जब हम उसमें से

जेल जाने के प्रावधान को सरल करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि कोई न कोई तो व्यवस्था आएगी । वह सरल व्यवस्था, उसके लिए हमने फाइन को बदलकर एक पेनेल्टी में कन्वर्ट किया, जिससे उन्हें न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें ।

कुछ मित्रों ने तो यहां तक कहा कि आपने हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान हटा दिया । मुझे लगता है कि शुरुआत में ही किसी पहले या दूसरे स्पीकर ने यह बात की थी कि आपने हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान निकाल दिया और जो निर्णय लिया जाएगा, वह फाइनल माना जाएगा । मैं हैरान हूँ कि आप ज़रा पढ़ तो लीजिए । यह जो प्रावधान है, जिसमें इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर जो निर्णय लेगा, वह फाइनल होगा । इसके ऊपर कोर्ट में और किसी अपील में नहीं जा सकते हैं । यह दिसंबर, 2024 को राज्य सभा में पास हुआ, यह आज लोक सभा में पास हुए कानून में नहीं है । यह वर्ष 1960 में पास हुआ था । ? (व्यवधान) सन् 1960 में किसकी सरकार थी? ? (व्यवधान) यानी परदादा की सरकार थी । पिताजी नहीं, दादी नहीं, परदादा की सरकार सन् 1960 में थी । ? (व्यवधान) सन् 1960 में यह प्रावधान लाया गया, फाइनेलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंस्पेक्टर । इंस्पेक्टर जो ऑर्डर दे, वह फाइनल है और उसके ऊपर कोई अपील का प्रावधान नहीं है । मुझे लगता है कि नेहरू जी ने अच्छा काम किया था । हमने उनका सम्मान किया । हम आपकी तरह नहीं हैं कि हर चीज़ की आलोचना करें । अच्छा प्रावधान लाए थे, तब से चला आ रहा है, हमने भी उसको आगे बढ़ाया है । यह अच्छी बात है । पता नहीं, ये चाहते हैं कि और 20-30 सालों तक हमारे छोटे उद्योगपतियों को कोर्टों के धक्के खिलाएं । शायद यह इनकी मानसिक सोच हो, तो देश के जितने व्यापारी, जितने छोटे-बड़े उद्योग चलाते हैं, एमएसएमई सभी को मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनसे डरें, इनकी राज्य सरकारों से डरें, क्योंकि इनकी सोच इतनी दकियानूसी है । इनकी सोच इतनी बैकवर्ड है । इनकी सोच अफसरशाही की सोच है । ये सरलता नहीं चाहते हैं । ये नहीं चाहते कि उद्योग जगत पनपे । ये नहीं चाहते कि कानून में सरलता हो । ? (व्यवधान) दूसरा, किसी ने बताया कि टाइमलाइंस नहीं दी गई हैं । क्या टाइमलाइंस कभी कानून में लिखी जाती हैं? इतने साल सरकार चलाई, नो वंडर, देश का इतना बुरा हाल है, इनको सरकार चलाना ही नहीं आता है । इतने साल सरकार चला कर आपको इतनी समझ नहीं है कि रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, वे भी पार्लियामेंट में पेश होते हैं, उसमें भी चर्चा हो सकती है । उसमें टाइमलाइंस दिए जाते हैं । ? (व्यवधान) टाइमलाइंस रेगुलेशंस में बनते हैं । ? (व्यवधान) रेगुलेशन में टाइमलाइंस दिए जाते हैं । ? (व्यवधान) हरेक चीज़ में टाइमलाइन रेगुलेशन में दिया गया है और उसका प्रावधान रेगुलेशन में रहेगा । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी विषय पर बोल रहे हैं । आपने जो कहा है, वे उसका जवाब दे रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष जी, देखिए ये कितने विचलित हो गए हैं । ? (व्यवधान) जब उनकी नाकामियां सामने आईं तो ये कितने विचलित हो गए हैं । ? (व्यवधान) अगर छोटा सा बिल था, तो इतनी सारे स्पीकर्स ने इतनी सारी बातें रखी क्यों? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा का समय इस विधेयक के पारित होने और विचार तक बढ़ा दिया जाए ।

? (व्यवधान)

17.59 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore, Shri Abhay Kumar Sinha, Prof Sougata Ray and some other hon. Members left the House.

श्री पीयूष गोयल: जब आपकी नाकामियों का पर्दाफाश हुआ तो आप भाग गए । ? (व्यवधान) आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि असलियत को सुन सकें । ? (व्यवधान)

18.00 hrs

अध्यक्ष जी, इस प्रकार भागने से कोई सच्चाई बदल नहीं सकती है । इनकी नाकामियाँ देश ने देखी हैं । इनकी नाकामियों का पर्दाफाश बार-बार हो रहा है ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह देखिए कि आज क्या हालत है । सच्चाई सहन नहीं होती है । ? (व्यवधान) इनकी नकामियों का पर्दाफाश होता है । इनको सुनने की भी क्षमता नहीं है । आज विपक्ष में कितनी दुर्बलता है, यह देशवासियों के समक्ष आता है ।

अध्यक्ष जी, दो-चार बातें ही बोल कर मैं विराम देता हूं । विपक्ष के लोग सुनने के लिए ही नहीं है । ? (व्यवधान) कुछ माननीय मित्रों ने कहा कि सरकार ने राज्यों की पावर छीन ली है । राज्यों की पावर्स में हमने कोई बदलाव नहीं किया है । जहां तक सिर्फ और सिर्फ वेल नॉन मैन्युफैक्चर की बात है, जो प्रावधान पहले से ही केंद्र सरकार के पास था, सिर्फ और सिर्फ वह केंद्र सरकार के पास है । इसके बाकी सभी प्रावधान राज्य सरकार ही लागू करती है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं । इसके सभी प्रावधान राज्यों के हाथ में दिये गए हैं ।

अध्यक्ष जी, कुछ लोगों ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात कही । मैं समझता हूं कि इनकी बातों में कितना अंतर्विरोध है । एक तरफ वे बोलते हैं कि इंस्पेक्टर को छह महीने में जाना चाहिए, कोई बोलता है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाऊ नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि ऐसा होना चाहिए । हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनके मन में क्या है । मैं समझता हूं कि अगर हम अपने उद्योग जगत एवं एमएसएमई पर विश्वास करते हैं तो यह इस देश के

लिए जरूरी है । सरकार और मोदी जी का बड़प्पन है । जब तक सरकार अपनी जनता पर विश्वास नहीं करेगी, तब तक जनता का भी विश्वास सरकार जीत नहीं पाएगी । इसलिए, हमने लोगों पर विश्वास किया है । टेक्निकल इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से करके हमने पूरी छूट दी है कि अच्छे लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ें । वे इंस्पेक्ट करें, सर्टिफाई करें और अप्रूव करें । सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करने के बाद यह बिल लाया गया है । इसमें राज्य सरकार के पावर को किसी प्रकार से टच नहीं किया गया है । छोटे लोगों को और सुविधाएं दी गई हैं । उनके लिए सरलता रखी गई है । प्रोसीजर को सरल किया गया है । सेफ्टी की सर्वप्रथम चिंता की गई है कि कैसे सेफ्टी अच्छी हो । कुछ लोगों ने कहा कि एन्वायरन्मेंट के कोई प्रावधान नहीं है । मैं सोचने लग गया कि एन्वायरन्मेंट का प्रावधान बायलर सेफ्टी के लॉ में हो, यह किस प्रकार की चर्चा चल रही है । एन्वायरन्मेंट के कानून अलग होते हैं । क्या हर कानून में आप एन्वायरन्मेंट को लाना चाहेंगे, जिससे लोग अपना व्यापार ही नहीं कर सकें, उद्योग ही नहीं चला सकें? एन्वायरन्मेंट, प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन के प्रति जो संवेदना इस सरकार की है, शायद ही दुनिया में कोई सरकार इतनी संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति दिखाती हो । हर कानून में उसको थोपा नहीं जा सकता है । उसके लिए अलग कानून है ।

अध्यक्ष जी, वैसे यह बड़ा अच्छा कानून है । हमने डेफिनेशन्स को सुधार किया है । पहले की वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही नहीं थी । वर्ष 1923 में स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन नहीं थी । इनकी सरकार 50-60 वर्षों तक रही, लेकिन इनको यह भी ध्यान नहीं आया कि स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन तो डाल दे । अभी इस प्रकार की जो गैप्स थीं, उनको हमने भरा है । हमने एक ऐसा कानून लाया है, जिसमें रिडन्डेंट या ऑब्स्ल्यूट, आज की परिप्रेक्ष्य में जिसकी जरुरत नहीं है, उनको निकाल दिया गया है ।

उन अनुच्छेदों को निकाल दिया गया है । चैप्टर्स और प्रोविजन्स को बड़े व्यवस्थित तरीके से रीक्लासीफाई किया है, तो रीडेबिलिटी अच्छी है, समझना सरल है । सिर्फ चार प्रावधान, जहां क्रिमिनल एक्शन है, वे रखे गए हैं, क्योंकि लोगों की सेफ्टी वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए बाकी सबको डीक्रिमनलाइज्ड कर दिया गया है । सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब सिर्फ यह पॉवर्स रखी हैं कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर अच्छे तरीके बायलर्स की व्यवस्था का हम निरीक्षण कर सकें । सरल कानून, पढ़ने में आसान, उसको लागू करना आसान हो और लोगों के जीवन में तकलीफें कम हों, इसको मद्देनजर रखते एक अच्छा कानून माननीय मोदी जी की सरकार लाई है । हम इसे सर्वसम्मति से पारित करें, यह मेरा सदन से अनुरोध है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि बायलरों का विनियमन, वाष्प-बायलरों के विस्फोटन के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का उपबंध करने तथा देश में रजिस्ट्रीकरण में एकरूपता और बायलरों के विनिर्माण, परिनिर्माण तथा उपयोग के दौरान निरीक्षण के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 45 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

CLAUSE 1 Short title, commencement and application

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए ।

Amendment made:

Page 1, line 5,-

for ?2024?

substitute ?2025?. (2)

(Shri Piyush Goyal)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

ENACTMENT FORMULA

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए ।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for ?Seventy-fifty?

substitute ?Seventy-sixth?. (1)

(Shri Piyush Goyal)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए ।

SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:

?That the Bill, as amended, be passed?

***m27 माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 26, 2025/Chaitra 05, 1947 (Saka).

ANNEXURE-I

(i) Member-wise Index to Starred Questions

Sl No.	Member's Name	Question Number
1	Adv Gowaal Kagada Padavi	351
2	Dr. D. Purandeswari	355
3	Dr. Gumma Thanuja Rani	345
4	Dr. Prabha Mallikarjun	359
5	Dr. Prashant Yadaorao Padole	353
6	Shri Abhay Kumar Sinha	360
7	Shri Anand Bhadauria	359
8	Shri Anup Sanjay Dhotre	344
9	Shri Bapi Haldar	343
10	Shri Benny Behanan	358
11	Shri Bhumare Sandipanrao Asaram	357
12	Shri C N Annadurai	345
13	Shri G Lakshminarayana	352
14	Shri Konda Vishweshwar Reddy	341
15	Shri Manish Jaiswal	346
16	Shri Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar	348
17	Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	356
18	Shri Raju Bista	349
19	Shri Ramasahayam Raghuram Reddy	347
20	Shri Shashank Mani	351

21	Shri Suresh Kumar Kashyap	354
22	Shri Trivendra Singh Rawat	342
23	Shri V K Sreekandan	350
24	Smt. Delkar Kalaben Mohanbhai	357
25	Smt. Jyotsna Charandas Mahant	353

(ii) Member-wise Index to Unstarred Questions

Sl No.	Member's Name	Question Number
1	Adv Dean Kuriakose	3977
2	Adv. Adoor Prakash	4016
3	Adv. Chandra Shekhar	4079
4	Com. Selvaraj V	3964, 3925
5	Dr. Alok Kumar Suman	4072
6	Dr. Amar Singh	4103
7	Dr. Amol Ramsing Kolhe	3929
8	Dr. Anand Kumar	4039
9	Dr. Bachhav Shobha Dinesh	4077
10	Dr. Bhola Singh	3994
11	Dr. Byreddy Shabari	3951
12	Dr. C M Ramesh	3969
13	Dr. D Ravi Kumar	4107
14	Dr. Ganapathy Rajkumar P	3954
15	Dr. Hemant Vishnu Savara	3957
16	Dr. Jayanta Kumar Roy	3988
17	Dr. K Sudhakar	3968, 3962
18	Dr. Kadiyam Kavya	4070
19	Dr. Kalanidhi Veeraswamy	3950
20	Dr. Kalyan Vaijinathrao Kale	4086
21	Dr. Kirsan Namdeo	3973
22	Dr. M K Vishnu Prasad	3990
23	Dr. M P Abdussamad Samadani	4063, 3934
24	Dr. Mallu Ravi	4133
25	Dr. Manna Lal Rawat	4056, 3962
26	Dr. Nishikant Dubey	4017, 4038

27	Dr. Rajeev Bharadwaj	3985, 3912
28	Dr. Rajesh Mishra	3940, 3933, 3962
29	Dr. Rajkumar Sangwan	3987
30	Dr. Sambit Patra	3943
31	Dr. Sanjay Jaiswal	3993
32	Dr. Shashi Tharoor	4011
33	Dr. Shrikant Eknath Shinde	4012
34	Dr. T Sumathy Alias Thamizhachi Thangapandian	3928
35	Dr. Thirumaavalavan Tholkappiyan	4125
36	Dr. Vinod Kumar Bind	3953, 3934
37	Km. Sudha R	3972
38	Kumari Selja	4106
39	Md. Rakibul Hussain	3918
40	Mr Pathan Yusuf	3926
41	Ms Iqra Choudhary	4074
42	Ms Kangna Ranaut	4089
43	Ms. Bansuri Swaraj	4140
44	Ms. Praniti Sushilkumar Shinde	4068
45	Ms. S Jothimani	4065
46	Prof. Sougata Ray	4048
47	Prof. Varsha Eknath Gaikwad	3929
48	Shri Chhotelal	4004
49	Shri Selvaganapathi T.M.	4042
50	Shri Aashtikar Patil Nagesh Bapurao	4108
51	Shri Adhikari Deepak Dev	4015
52	Shri Adhikari Soumendu	4045
53	Shri Aditya Yadav	4058
54	Shri Ajay Bhatt	3952
55	Shri Ajendra Singh Lodhi	4123
56	Shri Alok Sharma	4049, 3933, 3962
57	Shri Amra Ram	4028
58	Shri Amrinder Singh Raja Warring	4109
59	Shri Ananta Nayak	4059

60	Shri Anil Yeshwant Desai	3978
61	Shri Anoop Pradhan Valmiki	3953, 3936
62	Shri Anto Antony	4050
63	Shri Anurag Sharma	3992
64	Shri Anurag Singh Thakur	3912
65	Shri Appalanaidu Kalisetti	4090
66	Shri Arun Bharti	3939
67	Shri Arun Govil	3999, 3962, 3933
68	Shri Arun Kumar Sagar	3963
69	Shri Arvind Dharmapuri	4001
70	Shri Arvind Ganpat Sawant	3984
71	Shri Asaduddin Owaisi	4020
72	Shri Ashok Kumar Rawat	3955
73	Shri Azad Kirti Jha	3932
74	Shri B K Parthasarathi	4073
75	Shri B Y Raghavendra	3980
76	Shri Baijayant Panda	4047
77	Shri Bajrang Manohar Sonwane	4082
78	Shri Balabhadra Majhi	4049, 4017, 3940
79	Shri Balashowry Vallabhaneni	3946
80	Shri Balya Mama Suresh Gopinath Mhatre	3997
81	Shri Bastipati Nagaraju	4036, 4001
82	Shri Bhajan Lal Jatav	4135
83	Shri Bhartruhari Mahtab	4017
84	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	3929
85	Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure	4095
86	Shri Bhojraj Nag	4066, 3999, 3962
87	Shri Bibhu Prasad Tarai	3953
88	Shri Bidyut Baran Mahato	4124, 3940
89	Shri Brijendra Singh Ola	3914
90	Shri Brijmohan Agrawal	4019
91	Shri Bunty Vivek Sahu	4087, 3953
92	Shri C N Annadurai	4024

93	Shri Captain Brijesh Chowta	3938
94	Shri Captain Viriato Fernandes	4018
95	Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	4097, 4010
96	Shri Chandan Chauhan	4017, 4038
97	Shri Chandra Prakash Choudhary	3920
98	Shri Chandra Prakash Joshi	4138
99	Shri Charanjit Singh Channi	4026
100	Shri Chavan Ravindra Vasantrao	4120, 3970
101	Shri Chavda Vinod Lakhamshi	4032, 3999
102	Shri Chhatrapal Singh Gangwar	4085
103	Shri Chintamani Maharaj	3999, 3962, 3933
104	Shri Daggumalla Prasada Rao	4113, 4013
105	Shri Damodar Agrawal	3962, 3933
106	Shri Darshan Singh Choudhary	4069, 4103
107	Shri Devusinh Chauhan	4114
108	Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	3970, 4120
109	Shri Dharambir Singh	4102, 3962
110	Shri Dharmendra Yadav	3998
111	Shri Dhaval Laxmanbhai Patel	3916
112	Shri Dileshwar Kamait	3936, 3953
113	Shri Dilip Saikia	4014
114	Shri Dineshbhai Makwana	3940, 3967
115	Shri Dulu Mahato	4034, 3940, 3962
116	Shri Durai Vaiko	4051
117	Shri E T Mohammed Basheer	4075
118	Shri Eatala Rajender	3974
119	Shri Eswarasamy K	3982
120	Shri G Kumar Naik	4137
121	Shri G M Harish Balayogi	4057

122	Shri Gajendra Singh Patel	3967, 3933, 3962
123	Shri Gaurav Gogoi	3922
124	Shri Godam Nagesh	3979
125	Shri Gopal Jee Thakur	4131
126	Shri Gurjeet Singh Aujla	4023
127	Shri Gurmeet Singh Meet Hayer	3915, 4003
128	Shri Gyaneshwar Patil	4128
129	Shri Hanuman Beniwal	4006
130	Shri Haribhai Patel	3956
131	Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel	3961, 4049
132	Shri Hibi Eden	3927
133	Shri Imran Masood	4009
134	Shri Jagannath Sarkar	4091
135	Shri Jagdambika Pal	4092
136	Shri Jai Prakash	3981
137	Shri Janardan Mishra	3933, 3962
138	Shri Janardan Singh Sigriwal	3930
139	Shri Jashubhai Bhilubhai Rathva	3953, 3934
140	Shri Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor	3940, 3967, 3962, 3933
141	Shri Jitendra Kumar Dohare	4104
142	Shri Joyanta Basumatary	4060
143	Shri Jugal Kishore	3936, 4049
144	Shri K C Venugopal	4052
145	Shri K Radhakrishnan	3931
146	Shri Kalyan Banerjee	4105
147	Shri Kamakhya Prasad Tasa	4003
148	Shri Kanwar Singh Tanwar	3967, 3933
149	Shri Kaushalendra Kumar	4101
150	Shri Kesineni Sivanath	4043
151	Shri Khagen Murmu	3940, 3933
152	Shri Kodikunnil Suresh	3996
153	Shri Kota Srinivasa Poojary	3942
154	Shri Kripanath Mallah	3993
155	Shri Krishna Prasad Tenneti	4054

156	Shri Kuldeep Indora	4127
157	Shri Kunduru Raghuveer	4007
158	Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu	4013
159	Shri Lumba Ram Chaudhary	4038, 3940, 3962
160	Shri M K Raghavan	4067
161	Shri Maddila Gurumoorthy	4041
162	Shri Madhavaneni Raghunandan Rao	4008
163	Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	4030
164	Shri Mahesh Kashyap	4126
165	Shri Malaiyarasan D	3945
166	Shri Mani A	4061
167	Shri Manickam Tagore B	4044, 3971
168	Shri Manish Tewari	3911
169	Shri Matheswaran V S	3976
170	Shri Mitesh Patel Bakabhai	3961, 4049
171	Shri Mohite Patil Dhairyasheel Rajsinh	3929
172	Shri Mohmad Haneefa	4078
173	Shri Mukesh Rajput	4049, 3953
174	Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal	4112
175	Shri Murari Lal Meena	3919
176	Shri N K Premachandran	4132
177	Shri Naba Charan Majhi	4049, 3957, 3967, 3962
178	Shri Naresh Ganpat Mhaske	4012
179	Shri Navaskani K	4022, 4024
180	Shri Naveen Jindal	3959
181	Shri Nilesh Dnyandev Lanke	3929
182	Shri Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar	3944
183	Shri P C Mohan	4031
184	Shri P P Chaudhary	4122, 3957, 3933
185	Shri P V Midhun Reddy	4046

186	Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava	3936
187	Shri Parshottambhai Rupala	4111
188	Shri Patel Umeshbhai Babubhai	4088
189	Shri Prabhakar Reddy Vemireddy	3949
190	Shri Pradeep Purohit	4081
191	Shri Pradyut Bordoloi	4055
192	Shri Pratap Chandra Sarangi	3934, 3953
193	Shri Praveen Patel	3962, 3933
194	Shri Pushpendra Saroj	4005
195	Shri Putta Mahesh Kumar	4003
196	Shri R K Chaudhary	3937
197	Shri Rahul Kaswan	4002
198	Shri Raja A	3923
199	Shri Raja Ram Singh	3947
200	Shri Rajeev Rai	3975
201	Shri Rajesh Naranbhai Chudasama	3934
202	Shri Rajesh Ranjan	4129
203	Shri Rajesh Verma	4012
204	Shri Rajkumar Chahar	3979
205	Shri Rajkumar Roat	3917
206	Shri Rajmohan Unnithan	3952
207	Shri Ram Shiromani Verma	4093
208	Shri Ramashankar Rajbhar	4117
209	Shri Ramvir Singh Bidhuri	4035
210	Shri Ranjit Dutta	4130
211	Shri Ravindra Dattaram Waikar	4012
212	Shri Rudra Narayan Pany	4096
213	Shri S Jagathratchakan	3966
214	Shri Sachithanantham R	4100
215	Shri Sanjay Dina Patil	3929
216	Shri Sanjay Haribhau Jadhav	4027
217	Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh	3944

218	Shri Saptagiri Sankar Ulaka	4025
219	Shri Sasikanth Senthil	3935
220	Shri Satish Kumar Gautam	3995
221	Shri Satpal Brahamchari	4021
222	Shri Selvam G	4024, 4022
223	Shri Shankar Lalwani	4000
224	Shri Shrirang Appa Chandu Barne	4115, 3998, 3967, 3933
225	Shri Shyamkumar Daulat Barve	4071
226	Shri Sribharat Mathukumilli	4033
227	Shri Subbarayan K	3925, 3964
228	Shri Sudama Prasad	4076
229	Shri Sudhakar Singh	4136
230	Shri Sudheer Gupta	4120, 3970
231	Shri Sukanta Kumar Panigrahi	4094
232	Shri Sukhdeo Bhagat	4119
233	Shri Sunil Kumar	3948
234	Shri Suresh Kumar Shetkar	4010
235	Shri T R Baalu	4139
236	Shri Tangella Uday Srinivas	4053
237	Shri Tanuj Punia	3991
238	Shri Tapir Gao	4134, 4114
239	Shri Tatkare Sunil Dattatrey	4083
240	Shri Tejasvi Surya	3921
241	Shri Tharaniventhan M S	4062
242	Shri Ummeda Ram Beniwal	3941
243	Shri Utkarsh Verma Madhur	4064
244	Shri Vamsi Krishna Gaddam	4098
245	Shri Vijay Baghel	3961
246	Shri Vijayakumar Alias Vijay Vasanth	3971, 4044
247	Shri Virendra Singh	4084
248	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	4037
249	Shri Vishnu Datt Sharma	3983
250	Shri Vishnu Dayal Ram	3924

251	Shri Vishweshwar Hegde Kageri	3989, 3961
252	Shri Y S Avinash Reddy	3960
253	Shri Yaduveer Wadiyar	4116
254	Shri Yogender Chandolia	3933
255	Shri Zia Ur Rehman	4029, 4004
256	Smt. Aparajita Sarangi	3957, 3933
257	Smt. Bharti Pardhi	4115, 3998, 3967, 3933
258	Smt. D K Aruna	4097, 4010
259	Smt. Dhanorkar Pratibha Suresh	4110
260	Smt. Hema Malini	4118
261	Smt. Kamaljeet Sehrawat	3961, 4049
262	Smt. Lovely Anand	4099
263	Smt. Mahima Kumari Mewar	3967, 3962
264	Smt. Manju Sharma	4040
265	Smt. Poonamben Hematbhai Maadam	4000, 3953
266	Smt. Pratima Mondal	4121
267	Smt. Roopkumari Choudhary	3913, 4066, 3962, 3933
268	Smt. Sandhya Ray	3965
269	Smt. Sangeeta Kumari Singh Deo	3986
270	Smt. Sanjna Jatav	3958
271	Smt. Shambhavi	4012
272	Smt. Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya	4066
273	Smt. Smita Uday Wagh	3957
274	Smt. Supriya Sule	3929
275	Thiru D M Kathir Anand	4080

ANNEXURE-II

(i) Ministry-wise Index to Starred Questions

Agriculture and Farmers Welfare	:	344, 346, 347, 358, 360
Commerce and Industry	:	352
Cooperation	:	
Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	:	341, 355, 356
Heavy Industries	:	
Home Affairs	:	342
Panchayati Raj	:	
Rural Development	:	343, 345, 349, 350, 357, 359
Social Justice and Empowerment	:	348, 351
Steel	:	353
Textiles	:	354

(ii) Ministry-wise Index to Unstarred Questions

Agriculture and Farmers Welfare	: 3913, 3915, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3929, 3931, 3933, 3934, 3935, 3936, 3942, 3949, 3955, 3963, 3971, 3978, 4011, 4013, 4016, 4018, 4024, 4030, 4035, 4037, 4043, 4057, 4062, 4063, 4064, 4072, 4085, 4086, 4091, 4092, 4093, 4095, 4098, 4100, 4101, 4103, 4104, 4106, 4108, 4111, 4112, 4114, 4115, 4116, 4123, 4135, 4136
Commerce and Industry	: 3924, 3925, 3939, 3952, 3964, 3970, 4010, 4015, 4022, 4023, 4027, 4029, 4033, 4042, 4046, 4067, 4071, 4078, 4080, 4082, 4090, 4097, 4099, 4105, 4121, 4129, 4130, 4133, 4137
Cooperation	: 3954, 3984, 3995, 4019, 4026, 4038, 4068, 4094
Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	: 3932, 3938, 3943, 3946, 3957, 3958, 3960,

	3965, 3967, 3973, 3974, 3979, 3985, 3990, 3993, 4000, 4021, 4031, 4036, 4039, 4044, 4047, 4048, 4058, 4059, 4066, 4075, 4076, 4088, 4125, 4127, 4139
Heavy Industries	: 3956, 4004, 4041, 4102
Home Affairs	: 3911, 3944, 3972, 3977, 3986, 3989, 3994, 4003, 4007, 4014, 4017, 4050, 4079, 4120, 4126
Panchayati Raj	: 3928, 3940, 3953, 3961, 3975, 3998, 4002, 4006, 4008, 4074, 4077, 4089, 4096, 4119, 4138
Rural Development	: 3912, 3917, 3926, 3930, 3945, 3951, 3962, 3968, 3982, 3987, 3996, 4001, 4040, 4049, 4052, 4054, 4056, 4065, 4069, 4070, 4073, 4084, 4087, 4107, 4109, 4110, 4131, 4132
Social Justice and Empowerment	: 3923, 3927, 3941, 3947, 3950, 3959, 3966, 3976, 3981, 3983, 3991, 4012, 4028, 4113, 4128, 4140
Steel	: 3922, 3948, 3980, 3997, 4009, 4025, 4032,

4034, 4117, 4124

Textiles : 3914, 3937, 3969, 3988, 3992, 3999, 4005, 4020, 4045, 4051, 4053, 4055, 4060, 4061, 4081, 4083, 4118, 4122, 4134

---

*Not recorded

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

?.. English translation of this part of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Vide Amendments List No. 3 circulated on 22.3.2025

* Vide Amendments list No.3 circulated on 22.3.2025

* *Vide* Amendments List No. 3 circulated on 22.3.2025.

* Vide Amendments List No. 3 circulated on 22.3.2025.

* *Vide* Amendments List No. 3 circulated on 22.3.2025.

?.. English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.